निजी सचिव/निजी सहायक

प्रशिक्षण प्रारूप

पं. दीनदयाल उपाध्याय
प्रशिक्षण महाभियान

भारतीय जनता पार्टी

9 789388 310215

निजी सचिव/निजी सहायक
प्रशिक्षण प्रारूप

पं. दीनदयाल उपाध्याय
प्रशिक्षण महाभियान

भारतीय जनता पार्टी
6 ए, दीनदयाल उपाध्याय रोड, नई दिल्ली- 110002
फोन : 011-23500000 फैक्स : 011-23500190

निजी सचिव/निजी सहायक प्रशिक्षण प्रारूप

© भारतीय जनता पार्टी

6 ए, दीनदयाल उपाध्याय रोड, नई दिल्ली-110002

ISBN 978-93-88310-21-5

2018

मुद्रकः

एक्सलप्रिंट

सी-36, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स

झण्डेवालान, नई दिल्ली-110055

आमुख

सर्वाधिक सदस्य संख्या के विश्व रिकॉर्ड के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है। सिर्फ केन्द्र में ही नहीं, बल्कि देश की 70 प्रतिशत आबादी वाले 21 से अधिक राज्यों में आज भाजपा सत्ता में है। ऐसे विशाल जनादेश के साथ आज देश की राजनीतिक व्यवस्था में पार्टी का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है।

भारतीय जनता पार्टी अन्य सभी राजनीतिक दलों से भिन्न है और मूल्यों और विचारों पर आधारित जन कल्याण की राजनीति में विश्वास रखती है। अपनी स्थापना से ही देश और समाज को सशक्त बनाने के उद्देश्य को सर्वोपरि महत्त्व देते हुए दकियानूसी और परिवारवाद की राजनीति को नकार कर लोकनीति तथा जनभागीदारी की राजनीति में पार्टी का दृढ विश्वास है। इसलिए देश को एक नयी तरह की रचनात्मक राजनीति की तरफ मोड़ने के लिए भाजपा सदैव अपने कार्यकर्ताओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान देती रही है।

हमारा मानना है कि पार्टी के प्रति देशवासियों का जितना अधिक भरोसा बढ़ता है उतनी ही अधिक पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इसलिए कार्यकर्ताओं की क्षमता में वृद्धि तथा नेतृत्व को भावी जिम्मेदारियाँ संभालने हेतु तैयार करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी विचार को केन्द्र में रखकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के समुचित प्रशिक्षण हेतु ठोस पहल की है। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की बात करें तो अपने शुरूआती दिनों से ही भाजपा की यह खास पहचान रही है। इससे पूर्व जनसंघ के रूप में भी कार्यकर्ता प्रशिक्षण पर सदैव जोर रहा। सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पीछे मूल सोच यही रही है कि कैसे पार्टी में जमीनी स्तर तक लोकतंत्र को

मजबूत किया जाए और किस प्रकार ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम खड़ी हो जो सेवा एवं समर्पण भाव के साथ देशवासियों की आकांक्षाओं पर खरी उतरे।

भाजपा में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को वर्ष 2015 में उस समय नया आयाम मिला जब ''पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान'' की शुरूआत हुई। इस अभियान की सफलता का आंकलन महज इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का यह दुनिया का पहला एवं सबसे बड़ा अभियान है। प्रथम चरण में मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हजारों प्रशिक्षण कार्यक्रम देशभर में आयोजित किये गये।

प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में अब पार्टी के विभिन्न मोर्चों, विभागों एवं स्तरों पर कार्यरत राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का यह नया आयाम है।

निजी सचिव सामने ना रहते हुए भी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी सांसद/विधायक अथवा जनप्रतिनिधि के कार्यालय और उसकी कार्यक्षमता के विकास में एक कुशल सचिव बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बार नियुक्ति होने के बाद, किसी भी निजी सहायक के पास प्रशिक्षण के लिए बहुत कम समय होता है। आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि एक निजी सहायक सबकुछ जान लेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर पी.ए./पी.एस. को समय-समय पर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। किसी भी निजी सहायक को न केवल राजनीतिक क्षेत्र में घटित होने वाली नई घटनाओं, अपितु बदलती तकनीक एवं प्रबंधन के क्षेत्र में होने वाले बदलावों के अनुसार स्वयं के ज्ञान और कौशल को निखारने की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत निजी सचिवों और सहायकों को इसी प्रकार प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रारूप

तैयार किया गया है।

इस पुस्तिका में मुख्य रूप से निजी सहायक की भूमिका एवं दायित्व, विधानसभा (सदन) की गतिविधियों में भागीदारी, निजी सहायक में अपेक्षित गुण, कार्यालय प्रबंधन, प्रचार-प्रसार का प्रबंधन, मीडिया प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक दायित्व और मूल्य, मीडिया/सोशल मीडिया संवाद, डिजिटल मीडिया का उपयोग आदि के सम्बन्ध में जानकारी संकलित की गयी है।

अनुभवी प्रशिक्षकों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् तैयार की गयी इस पुस्तिका में जो जानकारी दी गयी है वह निजी सचिव और निजी सहायकों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उनके ज्ञानवर्धन एवं कौशल विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रक्रिया में इस पुस्तिका को एक शुरूआत ही मानना चाहिए।

मुझे उम्मीद है कि पार्टी के निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में यह पुस्तिका सहायक सिद्ध होगी।

-पी. मुरलीधर राव
(राष्ट्रीय महासचिव)
प्रभारी, प. दीनदयाल उपाध्याय
प्रशिक्षण महाभियान

विषय सूची

1. भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एवं विकास 9
पृष्ठभूमि 9
भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय 11
भाजपा का गठन 12
विचार एवं दर्शन 13
उपलब्धियाँ 14
वर्तमान स्थिति 16
भारतीय राजनीति में भाजपा का योगदान 17
लोकतंत्र: विकास एवं रक्षा 18
विचारधारा 18
सुशासन 19
2. सैद्धांतिक अधिष्ठान 20
राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता 21
लोकतंत्र 21
सामाजिक व आर्थिक विषयों पर गाँधीवादी दृष्टिकोण 23
सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता एवं सर्वपंथसमभाव 24
मूल्य आधारित राजनीति 25
3. विचार परिवार 26
4. संसदीय उपकरण 29
प्रश्नकाल (विधान सभा) 29
आधे घंटे की चर्चा 31

मानहानिकारक और अपमानजनक वक्तव्य 31
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण 32
स्थगन प्रस्ताव 32
अल्पकालीन चर्चा 33
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 33
संकल्प 34
अंतिम सप्ताह का प्रस्ताव 35
औचित्य का मुद्दा 35
अध्यादेश 36
संविधान संशोधन के लिए सहमति देना 36
सरकारी विधेयक 36
गैर-सरकारी विधेयक 38
कटौती सूचना 38

5. निजी सहायक की भूमिका एवं दायित्व 40
विधायक का भ्रमण कार्यक्रम 41
विधानसभा (सदन) के कार्य 41
विधायक निधि 42
शिकायत एवं अनुशंसा 43
समीक्षा एवं निगरानी 44
कार्यक्रमों में भागीदारी 44
उपलब्धियों का प्रचार 45
संबंधों का संवर्धन 45
अहर्ताएं जो एक निजी सहायक में अपेक्षित हैं 46

6. कार्यालय प्रबंधन 47
कार्यालय का माहौल 47
कामकाज 47
प्रचार – प्रसार का प्रबंधन 49
मीडिया प्रबंधन 49
कर्मचारियों का प्रबंधन 49
वित्तीय प्रबंधन 50
24x7 उपलब्धता 50
7. व्यक्तित्व विकास 51
व्यक्तित्व विकास क्यों? 51
व्यक्तित्व के दो प्रकार 51
व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले बिंदु 52
व्यक्तित्व विकास और शिक्षा 53
व्यक्तित्व विकास के तरीके 53
व्यक्तित्व विकास में मुश्किलें 54
मुश्किलों का इलाज 55
सामाजिक दायित्व और मूल्यों का पालन 56
8. मीडिया/सोशल मीडिया: निजी सहायकों हेतु जरूरी दिशानिर्देश 57
सोशल मीडिया 60

1. भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एवं विकास

भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृतसंकल्प है। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन 6 अप्रैल, 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं लोकहित के विषयों पर मुखर रहते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की तथा भारतीय राजनीति को नए आयाम दिए। कांग्रेस की एकाधिकार वाली एक-दलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था के रूप में जानी जाने वाली भारतीय राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने दो ध्रुवीय बनाकर एक गठबंधन-युग के सूत्रपात में अग्रणी भूमिका निभाई है। देश में विकास आधारित राजनीति की नींव भी भाजपा ने विभिन्न राज्यों में सत्ता में आने के बाद तथा पूरे देश में भाजपा नीत राजग शासन के दौरान रखी। आज तीन दशक बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसी एक पार्टी को देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है तथा भारी बहुमत से भाजपा नीत राजग सरकार केन्द्र में विद्यमान है।

पृष्ठभूमि

हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल, 1980 को हुआ, परन्तु इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश विभाजन के साथ ही देश में एक नई राजनीतिक परिस्थिति

उत्पन्न हुई। गाँधीजी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर देश में एक नया राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाने लगा। सरदार पटेल के देहावसान के पश्चात् कांग्रेस में नेहरू का अधिनायकवाद प्रबल होने लगा। गाँधी और पटेल दोनों के ही नहीं रहने के कारण कांग्रेस 'नेहरूवाद' की चपेट में आ गई तथा अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, लाइसेंस-परमिट-कोटा राज, राष्ट्रीय सुरक्षा पर लापरवाही, राष्ट्रीय मसलों जैसे कश्मीर आदि पर घुटनेटेक नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारतीय हितों की अनदेखी आदि अनेक विषय देश में राष्ट्रवादी नागरिकों को उद्विग्न करने लगे। 'नेहरूवाद' तथा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिन्दू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भारत के चुप रहने से क्षुब्ध होकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इधर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ स्वयंसेवकों ने भी प्रतिबंध के दंश को झेलते हुए महसूस किया कि संघ के राजनीतिक क्षेत्र से सिद्धांतत: दूरी बनाये रखने के कारण वे अलग-थलग तो पड़े ही, साथ ही संघ को राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल की आवश्यकता देश में महसूस की जाने लगी। फलत: भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर, 1951 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी की अध्यक्षता में दिल्ली के राघोमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय में हुई।

भारतीय जनसंघ ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी के नेतृत्व में कश्मीर एवं राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ा तथा कश्मीर को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार देने का विरोध किया। नेहरू के अधिनायकवादी रवैये के फलस्वरूप डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी को कश्मीर की जेल में डाल दिया गया, जहाँ उनकी रहस्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हो गई। एक नई पार्टी को सशक्त बनाने का कार्य पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों

पर आ गया। भारत-चीन युद्ध में भी भारतीय जनसंघ ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेहरू की नीतियों का डटकर विरोध किया। 1967 में पहली बार भारतीय जनसंघ एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय राजनीति पर लम्बे समय से बरकरार कांग्रेस का एकाधिकार टूटा, जिससे कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की पराजय हुई।

भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय

सत्तर के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में निरंकुश होती जा रही कांग्रेस सरकार के विरुद्ध देश में जन-असंतोष उभरने लगा। गुजरात के नवनिर्माण आन्दोलन के साथ बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस ने इन आंदोलनों के दमन का रास्ता अपनाया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया तथा देशभर में कांग्रेस शासन के विरुद्ध जन-असंतोष मुखर हो उठा। 1971 में देश पर भारत-पाक युद्ध तथा बांग्लादेश में विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में बाह्य आपातकाल लगाया गया था जो युद्ध की समाप्ति के बाद भी लागू था। उसे हटाने की भी मांग तीव्र होने लगी। जनान्दोलनों से घबराकर इंदिरा गाँधी की कांग्रेस सरकार ने जनता की आवाज को दमनचक्र से कुचलने का प्रयास किया। परिणामत: 25 जून, 1975 को देश पर दूसरी बार आपातकाल भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत 'आंतरिक आपातकाल' के रूप में थोप दिया गया। देश के सभी बड़े नेता या तो नजरबंद कर दिये गए अथवा जेलों में डाल दिए गये। समाचार पत्रों पर 'सेंसर' लगा दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अनेक राष्ट्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हजारों कार्यकर्ताओं को 'मीसा' के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। देश में लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगा। जनसंघर्ष को तेज किया जाने

लगा और भूमिगत गतिविधियाँ भी तेज हो गयीं। तेज होते जनान्दोलनों से घबराकर इंदिरा गाँधी ने 18 जनवरी, 1977 को लोकसभा भंग कर दी तथा नये जनादेश प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर एक नये राष्ट्रीय दल 'जनता पार्टी' का गठन किया गया। विपक्षी दल एक मंच से चुनाव लड़े तथा चुनाव में कम समय होने के कारण 'जनता पार्टी' का गठन पूरी तरह से राजनीतिक दल के रूप में नहीं हो पाया। आम चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई तथा 'जनता पार्टी' एवं अन्य विपक्षी पार्टियाँ भारी बहुमत के साथ सत्ता में आईं। पूर्व घोषणा के अनुसार 1 मई, 1977 को भारतीय जनसंघ ने करीब 5000 प्रतिनिधियों के एक अधिवेशन में अपना विलय जनता पार्टी में कर दिया।

भाजपा का गठन

जनता पार्टी का प्रयोग अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। दो-ढाई वर्षों में ही अंतर्विरोध सतह पर आने लगा। कांग्रेस ने भी जनता पार्टी को तोड़ने में राजनीतिक दांव-पेंच खेलने से परहेज नहीं किया। भारतीय जनसंघ से जनता पार्टी में आये सदस्यों को अलग-थलग करने के लिए 'दोहरी-सदस्यता' का मामला उठाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने पर आपत्तियाँ उठायी जानी लगीं। यह कहा गया कि जनता पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं बन सकते। 4 अप्रैल, 1980 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने अपने सदस्यों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य होने पर प्रतिबंध लगा दिया। पूर्व के भारतीय जनसंघ से संबद्ध सदस्यों ने इसका विरोध किया और जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल, 1980 को एक नये संगठन 'भारतीय जनता पार्टी' की घोषणा की। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई।

विचार एवं दर्शन

भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़, सशक्त, समृद्ध, समर्थ एवं स्वावलम्बी भारत के निर्माण हेतु निरंतर सक्रिय है। पार्टी की कल्पना एक ऐसे राष्ट्र की है जो आधुनिक दृष्टिकोण से युक्त एक प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करता हो तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा उसके मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए महान 'विश्वशक्ति' एवं 'विश्व गुरू' के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो। इसके साथ ही विश्व शांति तथा न्याययुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व के राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखे।

भाजपा भारतीय संविधान में निहित मूल्यों तथा सिद्धांतों के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित राज्य को अपना आधार मानती है। पार्टी का लक्ष्य एक ऐसे लोकतान्त्रिक राज्य की स्थापना करना है जिसमें जाति, सम्प्रदाय अथवा लिंगभेद के बिना सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, समान अवसर तथा धार्मिक विश्वास एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो।

भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित 'एकात्म-मानवदर्शन' को अपने वैचारिक दर्शन के रूप में अपनाया है। साथ ही पार्टी का अन्त्योदय, सुशासन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास एवं सुरक्षा पर भी विशेष जोर है। पार्टी ने पाँच प्रमुख सिद्धांतों के प्रति भी अपनी निष्ठा व्यक्त की, जिन्हें 'पंचनिष्ठा' कहते हैं। ये पाँच सिद्धांत (पंच निष्ठा) हैं-राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय अखंडता, लोकतंत्र, सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता (सर्वधर्मसमभाव), गाँधीवादी समाजवाद (सामाजिक-आर्थिक विषयों पर गाँधीवादी दृष्टिकोण द्वारा शोषण मुक्त समरस समाज की स्थापना) तथा मूल्य आधारित राजनीति।

उपलब्धियाँ

श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गई। बोफोर्स एवं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पुनः गैर-कांग्रेसी दल एक मंच पर आये तथा 1989 के आम चुनावों में राजीव गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। वी.पी. सिंह के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया। इसी बीच देश में राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथयात्रा शुरू की। राम मंदिर आन्दोलन को मिले भारी जनसमर्थन एवं भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर आडवाणी जी की रथयात्रा को बीच में ही रोक दिया गया। फलतः भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से समर्थन वापस ले लिया और वी.पी. सिंह सरकार गिर गई तथा कांग्रेस के समर्थन से चन्द्रशेखर देश के अगले प्रधानमंत्री बने। आने वाले आम चुनावों में भाजपा का जनसमर्थन लगातार बढ़ता गया। इसी बीच नरसिम्हाराव के नेतृत्व में कांग्रेस तथा कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चे की सरकारों का शासन देश पर रहा, जिस दौरान भ्रष्टाचार, अराजकता एवं कुशासन के कई 'कीर्तिमान' स्थापित हुए।

1996 के आम चुनावों में भाजपा को लोकसभा में 161 सीटें प्राप्त हुईं। भाजपा ने लोकसभा में 1989 में 85, 1991 में 120 तथा 1996 में 161 सीटें प्राप्त कीं। भाजपा का जनसमर्थन लगातार बढ़ रहा था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा सरकार ने 1996 में शपथ ली, परन्तु पर्याप्त समर्थन के अभाव में यह सरकार मात्र 13 दिन ही चल पाई। इसके बाद 1998 के आम चुनावों में भाजपा ने 182

सीटों पर जीत दर्ज की और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने शपथ ली। परन्तु जयललिता के नेतृत्व में अन्नाद्रमुक द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण सरकार लोकसभा में विश्वासमत के दौरान एक वोट से गिर गई, जिसके पीछे वह अनैतिक आचरण था, जिसमें उड़ीसा के तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग ने पद पर रहते हुए भी लोकसभा की सदस्यता नहीं छोड़ी तथा विश्वासमत के दौरान सरकार के विरुद्ध मतदान किया। कांग्रेस के इस अवैध और अनैतिक आचरण के कारण ही देश को पुनः आम चुनावों का सामना करना पड़ा। 1999 में भाजपा को 182 सीटों पर पुनः विजय मिली तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 306 सीटें प्राप्त हुईं। एक बार पुनः श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपानीत राजग की सरकार बनी।

भाजपा नीत राजग सरकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में विकास के अनेक नये प्रतिमान स्थापित किये। पोखरण परमाणु विस्फोट, अग्नि मिसाइल का सफल प्रक्षेपण, कारगिल विजय जैसी सफलताओं से भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऊँचा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में नयी पहल एवं प्रयोग, कृषि, विज्ञान एवं उद्योग के क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ-साथ महंगाई न बढ़ने देने जैसी अनेकों उपलब्धियाँ इस सरकार के खाते में दर्ज हैं।

भारत-पाक संबंधों को सुधारने, देश की आंतरिक समस्याओं जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तर पूर्व के राज्यों में अलगाववाद पर कई प्रभावी कदम उठाए गये। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को सुदृढ़ कर सुशासन एवं सुरक्षा को केन्द्र में रखकर देश को समृद्ध एवं समर्थ बनाने की दिशा में अनेक निर्णायक कदम उठाये गए।

तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राजग शासन ने देश में विकास की एक नई राजनीति का सूत्रपात किया।

वर्तमान स्थिति

आज भाजपा देश में एक प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में उभर चुकी है एवं देश के सुशासन, विकास, एकता एवं अखंडता के लिए कृतसंकल्प है।

10 साल पार्टी ने विपक्ष की सक्रिय और शानदार भूमिका निभाई। 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी, जो आज 'सबका साथ, सबका विकास' की उद्घोषणा के साथ गौरव सम्पन्न भारत का पुनर्निर्माण कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा लगभग 11 करोड़ सदस्यों वाली विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी बन गयी है।

26 मई, 2014 को श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कम समय में ही अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल की हैं। उन्होंने विश्व में भारत की गरिमा को पुन:स्थापित किया, राजनीति पर लोगों के विश्वास को फिर से स्थापित किया। अनेक अभिनव योजनाओं के माध्यम से नए युग की शुरुआत की। अन्त्योदय, सुशासन, विकास एवं समृद्धि के रास्ते पर देश बढ़ चला है। आर्थिक और सामाजिक सुधार सुरक्षित जीवन जीने का मार्ग उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों के लिये ऋण से लेकर खाद तक की नयी नीतियाँ जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, आदि ने कृषि के तीव्र विकास की अलख जगायी है। यह नया युग है सुशासन का। चाहे आदर्श ग्राम योजना हो,

स्वच्छता अभियान या फिर योग के सहारे भारत को स्वस्थ बनाने का अभियान, इन सभी कदमों से देश को एक नयी ऊर्जा मिली है। भाजपा की मोदी सरकार ने 'मेक इन इंडिया', 'स्किल इंडिया', अमृत मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से भारत को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। जन-धन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अनेक योजनाएं देश में एक नयी क्रांति का सूत्रपात कर रही हैं। भाजपा सरकार ने देशवासियों को विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना का उपहार दिया है।

भारतीय राजनीति में भाजपा का योगदान

- राष्ट्रीय अखण्डता, कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय, कबाइली वेश में पाकिस्तानी आक्रमण के प्रतिकार, परमिट व्यवस्था एवं धारा 370 की समाप्ति व पृथकतावाद से निरन्तर संघर्ष करने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनसंघ या भाजपा है, अन्यथा कश्मीर का बचना कठिन था।

- गोवा मुक्ति आंदोलन, सत्याग्रह एवं बलिदान। बहुत दबाव के बाद ही सरकार ने सैनिक कार्यवाही की।

- बेरुबाड़ी एवं कच्छ समझौते हमारी राष्ट्रीय अखण्डता के लिए चुनौती थे। भाजपा ने इस चुनौती का सामना किया।

- आज भी देश में राष्ट्रीय अखण्डता के मुद्दे उठाना, पृथकतावाद से जूझना एवं इस निमित्त समाज को निरन्तर जाग्रत रखने का काम भाजपा ही कर रही है।

- देश को परमाणु शक्ति सम्पन्न कर भारत पर हमलों की हिमाकत करने वालों को अटलजी की सरकार ने सीधा संदेश दिया।

लोकतंत्रः विकास एवं रक्षा

- प्रथम चरण में जब स्वतंत्रता आंदोलन के सभी नेता सत्ता पक्ष में जा बैठे थे, विपक्ष या तो था ही नहीं या राष्ट्रभक्ति से शून्य वामपंथियों के पास था तब जनसंघ ने चुनौती को स्वीकार किया तथा भारत के लोकतंत्र को भारतीय जनसंघ के रूप में सबल विपक्ष दिया। 1967 में जनसंघ दूसरा बड़ा दल बन गया था।
- चुनाव सुधार के मुद्दे उठाने वाला एकमात्र राजनीतिक दल जनसंघ या भाजपा ही है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को हमारी पार्टी ने बल दिया और उनका उल्लंघन नहीं होने दिया।
- आपातकाल के प्रतिकार की कहानी हमारी लोकतंत्रात्मक निष्ठा को पुष्ट करती है।
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में जो विपक्ष उभरा, वही विकल्प बनने में भी सक्षम था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं श्री नरेन्द्र मोदी भारतीय लोकतंत्र में विकल्प के नियामक हैं। भारतीय लोकतंत्र के लिए अपेक्षित अखिल भारतीय संगठन एवं नेतृत्व आज केवल भाजपा के पास ही है।

विचारधारा

- राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं है। समाज को अपेक्षित दिशा में प्रगति पथ पर ले जाना भी उसका कार्य है। इसके लिये संगत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो संगत विचारधारा से प्राप्त होता है। आज भारत के सभी राजनैतिक दल विचारधारा शून्यता के शिकार हैं। भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद तथा पंचनिष्ठाओं की संगत विचारधाराओं के आधार पर संगठन का नियमन कर रही है। शासन की नीति में भी इनका समुचित प्रतिबिम्बन होगा।

सुशासन

- ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ताओं की शक्ति एवं सरकार का सुनियमन सुशासन की गारंटी हैं। छः साल का केन्द्रीय शासन एवं प्रदेशों में भाजपा की सरकारों ने अन्य दलों की सरकारों की तुलना में अच्छा शासन दिया है। गत चार वर्षों से श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सकारात्मक सुशासन की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। व्यवस्थाओं की पुरानी विकृतियों का शमन करने में अभी भी कुछ वक्त लगेगा।

2. सैद्धांतिक अधिष्ठान

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। यह किसी परिवार, जाति या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाला सूत्र है–भारत के सांस्कृतिक मूल्य, हमारी निष्ठाएँ और भारत के परम वैभव को प्राप्त करने का संकल्प और साथ ही यह आत्मविश्वास कि अपने पुरुषार्थ से हम इन्हें प्राप्त करेंगे।

भाजपा की विचारधारा को एक पंक्ति में कहना हो तो वह है 'भारत माता की जय'। भारत का अर्थ है 'अपना देश'। देश जो हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला है और जिसे प्रकृति ने एक अखंड भूभाग के रूप में हमें दिया है। यह हमारी माता है और हम सभी भारतवासी इसकी संतान हैं। एक माँ की संतान होने के नाते सभी भारतवासी सहोदर यानि भाई-बहन हैं। भारत माता कहने से एक भूमि और एक जन के साथ हमारी एक संस्कृति का भी ध्यान बना रहता है। इस माता की जय में हमारा संकल्प घोषित होता है और परम वैभव में है माँ की सभी संतानों का सुख और अपनी संस्कृति के आधार पर विश्व में शांति व सौख्य की स्थापना। यही है 'भारत माता की जय'।

भाजपा के संविधान की धारा 3 के अनुसार एकात्म मानववाद हमारा मूल दर्शन है। यह दर्शन हमें मनुष्य के शरीर, मन, बृद्धि और आत्मा का एकात्म यानि समग्र विचार करना सिखाता है। यह दर्शन मनुष्य और समाज के बीच कोई संघर्ष नहीं देखता, बल्कि मनुष्य के स्वाभाविक विकास-क्रम और उसकी चेतना के विस्तार से परिवार, गाँव, राज्य, देश और सृष्टि तक उसकी पूर्णता देखता है। यह दर्शन प्रकृति और मनुष्य में माँ का संबंध देखता है, जिसमें प्रकृति को स्वस्थ बनाए रखते हुए अपनी आवश्यकता

की चीजों का दोहन किया जाता है।

भाजपा के संविधान की धारा 4 में पाँच निष्ठाएँ वर्णित हैं। एकात्म मानववाद और ये पाँचों निष्ठाएँ हमारे वैचारिक अधिष्ठान का पूरा ताना-बना बुनती हैं।

(१) राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता: हमारा मानना है कि भारत राष्ट्रों का समूह नहीं है, नवोदित राष्ट्र भी नहीं है, बल्कि यह सनातन राष्ट्र है। हिमालय से कन्याकुमारी तक प्रकृति द्वारा निर्धारित यह देश है। इस देश-भूमि को देशवासी माता मानते हैं । उनकी इस भावना का आधार प्राचीन संस्कृति और उससे मिले जीवनमूल्य हैं। हम इस विशाल देश की विविधता से परिचित हैं। विविधता इस देश की शोभा है और इन सबके बीच एक व्यापक एकात्मता है। यही विविधता और एकात्मता भारत की विशेषता है। हमारा राष्ट्रवाद सांस्कृतिक है केवल भौगोलिक नहीं। इसीलिए भारत भू-मंडल में अनेक राज्य रहे, पर संस्कृति ने राष्ट्र को बाँधकर रखा, एकात्म रखा।

(२) लोकतंत्र: विश्व की प्राचीनतम ज्ञात पुस्तक ऋग्वेद का एक मंत्र 'एकं सद विप्रा: बहुधा वदन्ति उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है, सत्य एक ही है, विद्वान इसे अलग-अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। भारत के स्वभाव में यह बात आ गई है कि किसी एक के पास सच नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वह भी सही है, आप जो कह रहे हैं वह भी सही है। विचार स्वातंत्र्य (फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन) का आधार यह मंत्र है।

संस्कृत में एक और मंत्र है- 'वादे वादे जायते तत्व बोध:'। इसका अर्थ है चर्चा से हम ठीक तत्व तक पहुँच जाते हैं। चर्चा से सत्य तक पहुँचने का यह मंत्र भारत में लोकतंत्रीय स्वभाव बनाता है। इन दोनों मन्त्रों ने भारत में लोकतंत्र का स्वरूप गढ़ा-निखारा है। भारतीय समाज ने इसी लोकतंत्र का स्वभाव ग्रहण किया है। लोकतंत्र भारतीय समाज के अनुरूप व्यवस्था है।

भाजपा ने अपने दल के अंदर भी लोकतंत्रीय व्यवस्था को मजबूती से अपनाया है। भाजपा संभवत: अकेला ऐसा राजनीतिक दल है, जो हर तीसरे साल स्थानीय समिति से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के नियमित चुनाव कराता है। यही वजह है कि कभी चाय बेचने वाला युवक देश का प्रधानमंत्री बना है और इसी तरह सभी प्रतिभावान लोगों का पार्टी के अलग-अलग स्तरों से लेकर चोटी तक पहुँचना संभव होता रहा है।

सत्ता का किसी एक जगह केन्द्रित होना लोकतंत्रीय स्वभाव के विपरीत है। इसीलिए लोकतंत्र विकेन्द्रित शासन व्यवस्था है। केन्द्र, राज्य, नगरपालिका और पंचायत सभी के काम और जिम्मेदारियाँ बँटी हुई हैं। सब को अपनी-अपनी जिम्मेदारियाँ भारत के संविधान से प्राप्त होती हैं। संविधान द्वारा मिली अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सभी (केंद्र, राज्य, नगरपालिका और पंचायत) स्वतंत्र हैं। इसीलिए गाँव के लोग पंचायत द्वारा गाँव का शासन स्वयं चलाते हैं और यही इनके चढ़ते हुए क्रम तक होता है।

लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा आपातकाल में जगजाहिर हुई। 25 जून, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने भारत में आपातकाल घोषित कर दिया था। नागरिकों के संविधान-प्रदत्त मौलिक अधिकार भी निरस्त कर दिए गए थे। यहाँ तक कि जीवन का अधिकार भी छीन लिया गया था। तत्कालीन जनसंघ (अब भाजपा) नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था और पार्टी दफ्तरों पर सरकारी ताले डाल दिए गए थे। अखबारों पर भी सेंसरशिप लागू हो गई थी।

लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा के कारण ही हम (यानि तत्कालीन जनसंघ के कार्यकर्ता) भूमिगत अहिंसक आंदोलन खड़ा कर सके। समाज को संगठित करके एक बड़ा संघर्ष किया। असंख्य कार्यकर्ताओं ने पुलिस का दमन, जेल यातना और काम धंधे (रोजी-रोटी) का नुकसान सहा। इसी संघर्ष का परिणाम था कि 1977 के आम चुनावों

में जनता जनार्दन की शक्ति सामने आई और इंदिरा गांधी की तानाशाह सरकार धराशायी हो गई।

(३) सामाजिक व आर्थिक विषयों पर गाँधीवादी दृष्टिकोण जिससे शोषणमुक्त और समतायुक्त समाज की स्थापना हो सके: गाँधीवादी सामाजिक दृष्टिकोण भेदभाव और शोषण से मुक्त समतामूलक समाज की स्थापना है। दुर्भाग्य से एक समय में, जन्म के आधार पर छोटे या बड़े का निर्धारण होने लगा, अर्थात् जाति व्यवस्था विषैली होकर छुआछूत तक पहुँच गई। भक्ति काल के पुरोधाओं से लेकर महात्मा गाँधी व डॉ. अम्बेडकर को इससे समाज को मुक्त कराने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आज भी यह विषमता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

यही वजह है कि अनुसूचित जाति के साथ अनेक प्रकार से भेदभाव होते हैं और उन्हें यह अहसास कराया जाता है कि वे बाकी जातियों से कमतर हैं। शिक्षित और धनवान हो जाने से भी यह विषमता दूर नहीं होती। भारतीय संविधान के रचयिता डॉ. अम्बेडकर ने विदेश से पीएचडी कर ली थी। फिर भी वह जिस कॉलेज में पढ़ाते थे वहाँ उनके पीने के पानी का घड़ा अलग रखा जाता था। भाजपा इसे स्वीकार नहीं करती। हम मानते हैं कि सभी में एक ही ईश्वर समान रूप से विराजता है। मनुष्य मात्र की समानता और गरिमा का यह दार्शनिक आधार है। देश को सामाजिक शोषण से मुक्त कराकर समरस समाज बनाना हमारी आधारभूत निष्ठा है।

किसी एक राज्य या कुछ व्यक्तियों के हाथ में सत्ता के केन्द्रीकरण के अपने खतरे होते हैं और यह स्थिति सत्ता में भ्रष्टाचार को बढ़ाती है। लेकिन गाँधीजी की मांग सही साधनों पर भरोसा करने की भी थी। उन्होंने किसी 'वाद' को जन्म नहीं दिया, बल्कि उनके दृष्टिकोण जीवन के प्रति एकात्म प्रयास को उजागर करते हैं।

महात्मा गाँधी के दृष्टिकोण के आधार पर भाजपा भी आर्थिक शोषण

के खिलाफ है और साधनों के समुचित बंटवारे की पक्षधर है। हम इस बात पर विश्वास नहीं रखते कि कमाने वाला ही खाएगा। हमारी दृष्टि में कमा सकने वाला कमाएगा और जो जन्मा है वह खाएगा। हमारा मानना है कि समाज और राज्य सबकी चिन्ता करेंगे। दीनदयालजी मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा और रोजगार को भी जोड़ते थे। आर्थिक विषमताओं की बढ़ती खाई को पाटा जाना चाहिए। अशिक्षा, कुपोषण और बेरोजगारी से एक बड़ा युद्ध लड़कर ''सर्वे भवन्तु सुखिनः'' का आदर्श प्राप्त करना हमारी मौलिक निष्ठा है। हमारे गाँधीवादी दृष्टिकोण ने यह सिखाया है कि इसके लिए हमें विचार या तंत्र बाहर से आयात करने की जरूरत नहीं है। अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर अपनी बुद्धि, प्रतिभा और पुरुषार्थ से हम इसे पा सकते हैं।

(४) सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता एवं सर्वपंथसमभावः एक समय पश्चिमी देशों में पोप और पादरियों का राजकाज में अत्यधिक नियंत्रण हो गया था। अगर कोई अपराध करता था तो चर्च में एक निर्धारित राशि का भुगतान करके वह अपराधमुक्त होने का प्रमाणपत्र ले सकता था। नतीजा यह हुआ कि शासन में धर्म के असहनीय हस्तक्षेप का विरोध शुरु हो गया। विरोधियों का तर्क था कि धर्म घर के अंदर की वस्तु है। इस विरोध आन्दोलन से धर्मनिरपेक्षता का प्रादुर्भाव हुआ।

भारत में धर्म किसी पुस्तक, पैगम्बर या पूजा पद्धति में निहित नहीं है। हमारे यहाँ धर्म का अर्थ है जीवन शैली। अग्नि का धर्म है दाह करना और जल का धर्म है शीतलता। राजा को कैसे रहना और व्यवहार करना है यह है उसका राज-धर्म, पिता की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उसे क्या करना चाहिए, यह है पितृ-धर्म। इसी तरह पुत्र-धर्म और पत्नी-धर्म हैं। इसीलिए भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म से निरपेक्ष हो जाना नहीं है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सर्व पंथ समादर भाव है। शासक

किसी पंथ को, किसी भी पूजा पद्धति को राज-पंथ, राज-धर्म या राज-पद्धति नहीं मानेगा। वह सभी धर्मों, पंथों एवं पद्धतियों को समान आदर देता है। हमारा उद्देश्य है, न्याय सबके लिए और तुष्टिकरण किसी का नहीं। इसका व्यावहारिक अर्थ है 'सबका साथ सबका विकास'। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हिन्दुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिन्दुओं से नहीं लड़ना है, बल्कि दोनों को मिल कर गरीबी से लड़ना है।

(५) मूल्य आधारित राजनीतिः भाजपा ने जो पांचवाँ अधिष्ठान अपनाया है वह है 'मूल्य आधारित राजनीति'। एकात्म मानववाद मूल्य आधारित राजनीति पर विश्वास करता है। नियमों और मूल्यों के निर्धारण के वायदे के बिना राजनीतिक गतिविधि सिर्फ निज स्वार्थपूर्ति का खेल है। भाजपा 'मूल्य आधारित राजनीति' के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह सार्वजनिक जीवन का शुद्धिकरण एवं नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना उसका लक्ष्य है।

आज देश का संकट मूल रूप से नैतिक संकट है और राजनीति विशुद्ध रूप से ताकत का खेल बन गई है। यही वजह है कि देश नैतिक ताकत के लुप्तिकरण से जूझ रहा है और मुश्किलों का सामना करने की अपनी क्षमता को खोता जा रहा है। जब हम इन पांचों निष्ठाओं की बात करते हैं तो अपने आसपास या देश में घटे कुछ ऐसे प्रसंग ध्यान में आते हैं, जिनसे लगता है कि हम हर स्तर पर पूरी तरह सभी निष्ठाओं का पालन करते हैं, यह नहीं कहा जा सकता। पर, हम यह विश्वास से कह सकते हैं कि ये निष्ठाएँ हमारे लिए प्रकाश-स्तम्भ की तरह हैं। हम सबको जरुर यह प्रयत्न करते रहना है कि हम अपना जीवन और अपनी पार्टी को इन निष्ठाओं के आधार पर चलाएँ। ❍

3. विचार परिवार

- 1947 में देश स्वतंत्र हुआ और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कार्य अधिक सघनता से करने का अवसर प्राप्त हुआ।
- उसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्ति निर्माण के कार्य को संघ स्वयंसेवकों द्वारा समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में साकार करने का विचार संघ में प्रारंभ हुआ।
- 1950 के दशक से इस प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ और संघ कार्यकर्ता धीरे-धीरे सामाजिक जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में स्वायत्त रचनाएं खड़ी करते चलते गये।
- आज लगभग सभी क्षेत्रों में समान ध्येय एवं विचार-व्यवहार की प्रक्रियायें केंद्र में रखते हुए ऐसे संगठन कार्यरत हैं और प्रभावी ढंग से इस पुनर्निर्माण के कार्य को कर रहे हैं।
- इस कार्य की भूमिका एवं स्वरुप बहुत ही स्पष्ट है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में किसी क्षेत्र विशेष में उस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार संगठन खड़ा करके वहाँ अपेक्षित परिवर्तन लाने का यह प्रयास है।
- 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई। यह प्रारंभिक प्रयास रहा। उसके पश्चात् अलग-अलग संगठनों का निर्माण हुआ। वर्तमान में लगभग 40-42 ऐसे संगठन इस शृंखला में विद्यमान हैं।
- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार की पृष्ठभूमि इन संगठनों के सिद्धांत का आधार है यानि राष्ट्र जीवन का विचार एकात्म भाव से हो, समाजहित सर्वोपरि हो, समर्पित कार्यकर्ताओं का निर्माण हो, भारतीय परंपरा, इतिहास व राष्ट्रपुरुष के प्रति सम्मान और आदर

की भावना हो और जिस क्षेत्र में कार्य खड़ा करना है उस क्षेत्र की समस्याओं को समाप्त करके स्वस्थ समाज का दृश्य साकार हो, यह समान भूमिका विचार परिवार की आधारशिला है।

- इस विचार परिवार से अपना भावनात्मक संबंध रखकर कार्य करने वाले सभी संगठन स्वतंत्र और स्वायत्त हैं। सबकी कार्यपद्धति संगठन के स्वरूप के अनुसार है और उनका कार्य अब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
- वास्तव में यह एक अनोखी संगठन रचना है – व्यापक रूप से विचारधारा समान है परन्तु कार्यपद्धति भिन्न है। विचार परिवार एक ही है, परन्तु नियंत्रण, नियमन और कार्यकर्ताओं की शक्ति प्रत्येक संगठन ने अपने प्रयास से खड़ी की है।
- अनेक संगठनों ने शिक्षा, सेवा तथा वंचित समाज के उत्थान का व्यापक कार्य खड़ा किया है। विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, सेवा भारती आदि इसके उदाहरण हैं। अनेक सेवा प्रकल्प व एकल विद्यालय जैसे प्रयोग परिवर्तन के प्रतिमान बन चुके हैं।
- विचार परिवार के घटक के रूप में सभी संगठन स्वतंत्र और स्वायत्त होते हुए भी सभी में समन्वय, परस्पर-पूरकता और मूल विचार के परिप्रेक्ष्य में विसंगती नहीं है।
- विविध क्षेत्रों में सभी संगठन समाज हित में प्रभावी कार्य कर रहे हैं और नेतृत्व की भूमिका में रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ आज विश्व का सबसे बड़ा मजबूत संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच सबसे बड़े अनुशासित संगठन के रूप में विद्यमान है। हिंदुत्व के क्षेत्र में विश्व हिन्दू परिषद एक सशक्त आवाज है।
- विचार परिवार की यह रचना आज स्थिर हो चुकी है। ऐसे संगठनों की भूमिका राजनैतिक सत्ता संपादन की नही है परन्तु उनकी

गतिविधियों से राजनैतिक क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले दल के प्रति मानस तैयार होता ही है। लेकिन किसी भी संगठन के कार्यकर्ताओं का उपयोग दलगत राजनैतिक हितों के लिये करने की परंपरा नहीं है।

- कार्य क्षेत्र भिन्न-भिन्न होते हुए भी समाज जीवन की दृष्टि से समान दृष्टिकोण विचार परिवार में स्वाभाविक रुप से दिखाई देता है जैसे कि समाज का विचार एकात्मभाव से ही हो, समाज जीवन टुकड़ों में बंटा हुआ नहीं है बल्कि सभी अंग परस्पर-पूरक हैं, समरसता समाज जीवन के स्वास्थ्य का आधार है, विविधता में एकता का अनुभव है, वर्ण-वर्ग-जाति संघर्ष समाजहित में नहीं हैं, एक जन-एक राष्ट्र-एक संस्कृति समाज जीवन की अनुभूति है, भारतीय समाज मानस मूलतः आध्यात्मिक होने के कारण समष्टि के लिये त्याग की अभिव्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति में हो, धर्म की कल्पना व्यापक ही है और समाज को धारण करने वाली है ऐसे सभी सिद्धांत विचार परिवार के सभी संगठनों ने अंगीकार किये हैं।
- विचार परिवार की यह कल्पना राष्ट्र के परम वैभव से ही प्रेरित है। मूल प्रेरणा यही है। संगठन के सभी आंतरिक व्यवहार और कार्यकर्ताओं के परस्पर संबंध सदा स्नेहपूर्ण रहने का मूल कारण भी समाज ध्येयवाद एवं समाज के प्रति समर्पण का भाव ही है।
- समाज जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कार्य करते हुए ये संगठन एक विशाल शक्ति बन चुके है। यह शक्ति न तो किसी के विरोध या प्रतियोगिता में है और न ही वर्चस्व स्थापित करने के लिये है। यह सिर्फ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण से प्रेरित है। ❍

4. संसदीय उपकरण

इस अध्याय के माध्यम से आपको संसदीय व्यवस्था का केवल एक सामान्य परिचय दिया जा रहा है। विधानसभा से सभी आदरणीय प्रतिनिधियों को संबंधित कार्यवाही की विस्तृत जानकारी पठन सामग्री के रूप में मिलती है, जिसमें सदन की व्यवस्था का पूरा विश्लेषण होता है।

प्रश्नकाल (विधान सभा)

1. पृष्ठभूमि

सामान्य रूप से विधानसभा के अधिवेशन में हर बैठक का पहला घंटा सवाल-जवाब के लिए सुरक्षित रखा जाता है। संसदीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के लिए कई संसदीय उपकरण मौजूद हैं, उनमें सवाल-जवाब सबसे जरूरी और प्रभावी है। कम समय में ही अनेक शिकायतों, समस्याओं का सवाल-जवाब के माध्यम से समाधान किया जा सकता है। इसमें जन प्रतिनिधि सरकार की विभिन्न योजनाओं और राज्य के कार्य से जुड़े सवालों और कार्यपद्धतियों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब सदन में देते हैं। जनता की शिकायतों व समस्याओं को सुलझाने में सरकार की भूमिका और जन शिकायतों को सरकार के ध्यान में लाने के लिए इस पद्धति का उपयोग होता है।

सदन में जन प्रतिनिधि सरकार की विभिन्न योजनाओं और दूसरी कार्यपद्धतियों से जुड़े सवाल पूछते हैं। जिन मंत्रालयों से जुड़े सवाल होते हैं उनसे संबंधित मंत्री इनका जवाब देते हैं। जबाव सदन में ही और मौखिक देना होता है।

इस प्रक्रिया में जनप्रतिनिधि और माननीय मंत्री के बीच आमने-सामने चर्चा होती है। आमने-सामने की चर्चा कई बार बेहद रोचक होती है, जिसके चलते प्रश्नकाल मीडिया के लिए भी आकर्षक मुद्दा बन जाता

है।

प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं-

(1) तारांकित प्रश्न (2) अतारांकित प्रश्न (3) अल्पसूचना प्रश्न

(1) **तारांकित प्रश्न**-जिन प्रश्नों का जवाब सदन में मौखिक दिया जाता है उन्हें तारांकित कहते हैं। तारांकित प्रश्नों का जवाब संबंधित मंत्री महोदय समय पर दे सकें इसलिए सचिवालय की ओर से अधिवेशन के सामान्यतय: 45 दिन पहले ही तारांकित प्रश्नों का क्रम विधानसभा में संबंधित अधिकारी को भेजा जाता है। अधिवेशन की अवधि में हर सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक जिस दिन विधानसभा की बैठक होती है उस दिन शुरुआत का एक घंटा तारांकित प्रश्नों के जवाब के लिए तय होता है। तारांकित प्रश्न के उत्तर पर माननीय अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य मूल प्रश्न में जुड़े पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। किसी भी सदस्य को एक दिन में केवल तीन तारांकित स्वीकृत प्रश्न पूछने की अनुमति होती है।

(2) **अतारांकित प्रश्न**-जब सदस्यों को अपने प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में विस्तृत या आंकड़ों के साथ अपेक्षित होता है, तब माननीय सदस्य अतारांकित प्रश्नों की सूचना दे सकते हैं। ऐसे प्रश्नों की सूचना देने के लिए कोई भी निश्चित अवधि नहीं होती, इसीलिए अतारांकित प्रश्नों की सूचना माननीय सदस्य साल भर में कभी भी दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए गए अतारांकित प्रश्न सरकार के संबंधित विभाग के पास भेजे जाने के बाद विभाग को प्रश्न मिलने की तिथि से 30 दिन के भीतर उसका उत्तर संबंधित विभाग को देना जरूरी होता है।

(3) **अल्पसूचना प्रश्न**-सार्वजनिक महत्त्व के और जरूरी प्रश्नों को, जिनका उत्तर माननीय सदस्य को तुरंत चाहिए, अल्पसूचना प्रश्नों की श्रेणी में रखे जाते है। ऐसी सूचना अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के आरंभ

होने के 7 दिन पहले की नहीं होनी चाहिए। अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री को 7 दिन के अंदर देना होता है।

आधे घंटे की चर्चा

विधानसभा में तारांकित या अतारांकित सवालों के जवाब से निकले सार्वजनिक महत्त्व के मामलों पर चर्चा के लिए हर मंगलवार का दिन तय किया गया है।

1. इन सवालों को आधे घंटे की चर्चा के लिए सप्ताह के हर मंगलवार को कामकाज के दिन विधान सभा की बैठक के अंत में रखा जाता है।
2. माननीय सदस्यों को आधे घंटे की चर्चा की सूचना देनी हो तो उस दिन से तीन दिन पहले देनी होती है। ऐसी सूचना को कम से कम दो सदस्यों का अनुमोदन मिलना चाहिए।

निष्कर्ष

1. किसी विषय पर सदन की राय या निर्णय जानने के लिए सदस्यों के माध्यम से मत प्रस्ताव सदन के सामने विचारार्थ लाया जाता है। सार्वजनिक हित के मामलों में चर्चा, अध्यक्ष की सहमति से लाए गए प्रस्ताव के अतिरिक्त नहीं की जा सकती है।

मानहानिकारक और अपमानजनक वक्तव्य

मापदंडः-

1 जिस सदस्य को किसी व्यक्ति पर मानहानिकारक या अपराध सम्बन्धी कोई भी अभिकथन करना होता है उस दिन के बारे में अगले कामकाज के दिन उस सदस्य को शाम 5 बजे तक सूचना देना आवश्यक है।

2 जिस तथ्य/दस्तावेज के आधार पर आरोप लगाना है उसका विवरण, उसकी प्रामाणिकता और उसकी सत्यता के बारे में सदस्य पूर्ण रूप से आश्वस्त होना चाहिए।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

सदस्यों को यदि किसी विषय के बारे में सदन में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना हो तो माननीय अध्यक्ष की अनुमति से ऐसा किया जा सकता है।

मापदंडः

1 व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के द्वारा किसी भी विवादित मुद्दे को उपस्थित नहीं किया जा सकता।

2 उसी तरह ऐसे स्पष्टीकरण पर कोई भी चर्चा नहीं होती।

स्थगन प्रस्ताव

राज्य में कोई गंभीर परिस्थिति पैदा होने पर उसकी ओर तत्काल ध्यान आकृष्ट कराने हेतु नियमानुसार पहले सूचना देना संभव नहीं होता है। आकस्मिक तौर पर उत्पन्न होने वाली परिस्थिति के कारण ऐसे मामलों पर तत्काल चर्चा सदन में कराना अत्यंत जरुरी होता है। इसके लिए सदन के समक्ष मौजूदा कामकाज को अलग रखकर ऐसे विषयों पर चर्चा कराने के लिए स्थगन प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है।

मापदंडः

1. इस साधन का मुख्य उद्देश्य अति महत्त्व के और हाल ही में उत्पन्न मामलों पर नियमित कामकाज को अलग रखकर सदन का ध्यान आकृष्ट करना है।
2. विषय तात्कालिक और सार्वजनिक महत्त्व का होना चाहिए और उसके लिए सरकार जवाबदेह होनी चाहिए।
3. अन्य राज्य में हुई घटना, मोर्चा, धरना, लाठीचार्ज, हड़ताल, बंद, न्याय संबंधी विषय, आंदोलन, आत्महत्या जैसे मामले स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हो सकते। उसी प्रकार राज्यपाल के अभिभाषण के दिन, विभागों की मांगों पर चर्चारोध वाले दिन या जिस दिन

अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होती है, उस दिन स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता।

अल्पकालीन चर्चा

सार्वजनिक महत्त्व के विषय पर चर्चा कराने के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण साधन है। इस चर्चा के समय सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव नहीं होने के कारण इस पर मतदान नहीं होता।

मापदंड–

1. सार्वजनिक महत्त्व के विषय पर चर्चा कराने के इच्छुक सदस्य को नियम के अनुसार अल्पकालीन चर्चा की सूचना देने की सुविधा है।
2. इस प्रकार की सूचनाएं अधिवेशन शुरू होने से तीन दिन पहले ही दी जाती हैं।
3. इस सूचना पर अधिकतम डेढ घंटा चर्चा होती है। उस समय सूचना देने वाले सदस्य संक्षेप में अपना भाषण करते हैं। उसके बाद संबंधित मंत्री उसका संक्षिप्त उत्तर देते हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

यह साधन किसी महत्त्वपूर्ण विषय को सदन के पटल पर रखने के लिए उपयोगी है। इसके माध्यम से प्रशासन की कमियों को सरकार के ध्यान में लाना व उसके बारे में सरकार की भूमिका और तत्काल की जाने वाली कार्रवाई सदन के समक्ष रखी जा सकती है। यह सरकार पर अंकुश लगाने का भी बेहतर तरीका है।

मापदंड

1. सूचना में वर्णित घटना कब हुई उसकी तारीख का उल्लेख करना जरूरी होता है। घटना हाल ही में हुई है ऐसा मोटे तौर पर लिख देने से बचना चाहिए। सदस्यों को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सत्र आरंभ होने से पाँच दिन पहले (छुट्टी के दिन छोड़कर) संबंधित

अधिकारी तक पहुँचा देना चाहिए।

संकल्प

संकल्प महत्त्वपूर्ण संसदीय साधन है। सार्वजनिक हित की बातों पर सदन में चर्चा करवाने के लिए यह एक उपयुक्त माध्यम है। सार्वजनिक महत्त्व के विषय पर सदन की राय जानने या सिफारिश करने के उद्देश्य से सदस्य सदन में संकल्प के स्वरूप में प्रस्ताव रखकर सरकार के किसी काम के बारे में या नीतियों के बारे में राय रख सकते हैं व ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। संकल्प एक तरह से मूल प्रस्ताव ही है। संकल्प मुख्य रुप से निम्न प्रकार होते हैं।

1- अनाधिकारिक संकल्प

2- सरकारी संकल्प

3- वैधानिक संकल्प

1. अनाधिकारिक संकल्प

राज्य के नियमानुसार शुक्रवार की बैठक के अंत के ढाई घंटे गैरसरकारी कामकाज के लिए तय किए गए हैं। गैर सरकारी कामकाज दो तरह के होते हैं-(1) गैरसरकारी विधेयक और (2) गैरसरकारी संकल्प। इसके कारण एक शुक्रवार को संकल्प तो दूसरे शुक्रवार को विधेयक, इस तरह से दोनों प्रकारों के लिए बारी-बारी से समय दिया जाता है।

यदि किसी शुक्रवार को सदन की बैठक नहीं होती है तो अध्यक्ष उस सप्ताह में अन्य किसी भी दिन गैर सरकारी कामकाज के लिए ढाई घंटे का समय दे सकते हैं। जो तारीख गैरसरकारी संकल्प की चर्चा के लिए निर्धारित होगी उस तारीख से 15 दिन पहले संकल्प प्रस्तुत करने के इच्छुक सदस्यों को अपने संकल्पों की सूचना देनी होती है। किसी भी सदस्य को एक अधिवेशन के लिए अधिक से अधिक पाँच प्रस्ताव देने की अनुमति है। लेकिन उनके द्वारा दिए गए संकल्पों में से कुछ संकल्प अध्यक्ष द्वारा नामंजूर किए जाने पर उसके बदले वे दूसरा

संकल्प दे सकते हैं।

2. सरकारी संकल्प

विधानसभा के नियमानुसार जिस संकल्प की सूचना मंत्री या महाधिवक्ता ने दी हो उसे सरकारी संकल्प कहा जाता है। इस संकल्प पर कोई उपनियम लागू नहीं होता। इस संकल्प के बारे में सात दिन पूर्व सूचना देनी होती है।

3. अंतिम सप्ताह का प्रस्ताव

सार्वजनिक महत्त्व के विषय पर चर्चा करने के लिए सदस्यों को यह एक अतिरिक्त मौका उपलब्ध होता है। इस प्रस्ताव द्वारा राज्य के हित की दृष्टि से व्याप्त सार्वजनिक महत्त्व के विषय यानी राज्य की कानून व्यवस्था, महंगाई, पीने के पानी की राज्यव्यापी समस्या, सूखा जैसे विषय सदन के समक्ष रखे जा सकते हैं।

मापदंड–

1. अध्यक्ष, अति महत्त्व के सार्वजनिक विषयों पर चर्चा के लिए अंतिम सप्ताह में एक दिन तय करते हैं। उसके लिए तीन दिन पहले प्रस्ताव की लिखित सूचना दी जा सकती है।

औचित्य का मुद्दा

औचित्य के मामले में विधानसभा के नियम में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण माननीय अध्यक्ष अपने अधिकार में कुछ महत्त्वपूर्ण विषय औचित्य के माध्यम से सदन में रखने की अनुमति देते हैं।

मापदंड

1. विषय राज्य सरकार से संबंधित और उसके अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। विषय में विवादित बातें नहीं रखनी चाहिएं और विषय तात्कालिक होना चाहिए।

अध्यादेश

जब विधानसभा का सत्र न चल रहा तो तब कभी-कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि राज्यपाल को तत्काल कार्रवाई करना जरूरी होता है। ऐसे में राज्यपाल पूरी संतुष्टि कर लेने के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकते हैं। माननीय राज्यपाल के अध्यादेश को अधिवेशन के पहले दिन दोनों सदनों के सामने रखा जाता है। इस समय सदस्यों को मुद्रित प्रतियां दी जाती हैं। राज्य सरकार के नियमानुसार कोई भी सदस्य विधानसभा की बैठक से छह सप्ताह के भीतर विधानसभा के सचिव को तीन दिन की पूर्व सूचना देकर अध्यादेश को नापसंद करने का प्रस्ताव रख सकता है। अध्यादेश को विधानसभा के पटल पर रखने के बाद छह सप्ताह (42 दिन) के अंदर विधेयक में रूपांतरित नहीं करने पर वह रद्द हो जाता है।

संविधान संशोधन के लिए सहमति देना

जरूरत पड़ने पर संसद की ओर से इस आशय का संदेश सदन के सामने रखा जाता है। उसके बाद तीन दिन का नोटिस देकर उसमें संशोधन की सहमति देने वाला प्रस्ताव किया जाता है। उस पर चर्चा के लिए अध्यक्ष समय तय करते हैं। उस प्रस्ताव में सुधार किया जा सकता है या नहीं, इस प्रकार का प्रस्ताव पारित होने या असहमत होने पर संसद के सदन में वैसा संदेश भेजा जाता है।

सरकारी विधेयक

विधानसभा के कामकाज में विधि विषयक काम प्रमुख माना जाता है. किसी भी अधिनियम को लागू करने से पहले उसे विधेयक के रूप में सदन के पटल पर रखना जरूरी होता है। विधेयक दोनों सदनों में पारित होने के बाद ही उस पर जरूरत के अनुसार संविधान के तहत प्रावधान के अनुसार राज्यपाल या राष्ट्रपति मुहर लगाते हैं और वह अधिनियम बन जाता है।

विधेयक दो प्रकार के होते हैं सरकारी और गैरसरकारी। सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए विधेयक सरकारी और अन्य किसी भी सदस्य (मंत्री के अलावा) द्वारा प्रस्तुत विधेयक गैर सरकारी होते हैं।

विधेयक तीन प्रकार के होते हैं (1) सामान्य विधेयक, (2) धन विधेयक, (3) वित्त विधेयक।

जिन विधेयकों पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 (1) के प्रावधान लागू होते हैं उनके बारे में राज्यपाल की सिफारिश होना आवश्यक होता है। जिन विधेयकों पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के प्रावधान लागू होते हैं उनके बारे में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की व्यवस्था की गई है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने के बारे में माननीय अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं तो ऐसे विधेयक को सिर्फ विधानसभा में पेश किया जा सकता है। विधानसभा द्वारा धन विधेयक पारित करने के बाद उसे विधान परिषद के पास सिफारशों के लिए भेजा जाता है।

इस प्रकार से विधान परिषद के पास भेजे धन विधेयक को 14 दिन की अवधि में विधानसभा के पास वापस नहीं भेजा जाता है तो उक्त अवधि खत्म होने के बाद वह विधेयक विधानसभा में पारित स्वरूप में ही दोनों सदनों में पारित हुआ माना जाता है।

विधेयक पेश करने के बाद उसे उद्देश्य और कारण के साथ राजपत्र में तुरंत प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद कम से कम 4 दिन में उसे सदन में चर्चा के लिए रखा जा सकता है। नियमानुसार विधेयक पर विचार करने के लिए प्रवर समिति के पास या संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा जाता है। विधेयक पर सामान्य चर्चा के बाद उस पर विभागानुसार चर्चा होती है।

सुधार का निर्णय करके विधेयक का वाचन पूरा करने के बाद

विधेयक पारित करने की अवस्था में आता है। इसी को विधेयक का तीसरा वाचन कहा जाता है। इस समय विधेयक संशोधन सहित या मूल स्वरूप में पारित किया जाए ऐसा प्रस्ताव रखा जाता है और उसके पारित होने के बाद विधेयक को पारित माना जाता है।

विधानसभा द्वारा विधेयक पारित होने के बाद उसे विधान परिषद के पास भेजा जाता है। यदि विधान परिषद उसे अस्वीकार कर देती है या तीन महीने में नहीं लौटाती है तो विधान सभा उसे फिर से पारित कर सकती है। इस प्रकार से दूसरी बार सहमत विधेयक विधान सभा द्वारा नामंजूर करने या सुधारों के साथ सहमति देने किंतु उक्त सुधारों के विधानसभा में असहमत होने या उस विधेयक को विधान परिषद के पटल पर रखने की तारीख से विधान परिषद में पारित न होते हुए एक महीने से अधिक का समय बीत जाता है तो उस विधेयक को विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित प्रारूप में ही दोनों सदनों में पारित हुआ माना जाता है।

गैर-सरकारी विधेयक

गैर सरकारी विधेयक के लिए 15 दिन की सूचना जरूरी होती है। गैरसरकारी विधेयक का मसौदा तैयार करने के बारे में विधानसभा सचिवालय के संबंधित कक्ष द्वारा जरूरी मार्गदर्शन किया जाता है। लेकिन सदस्य को विधेयक की सूचना देते समय विधेयक के प्रारूप के साथ उद्देश्य और कारण का कथन संक्षेप में करना चाहिए।

कटौती सूचना

सरकारी खर्च के (1) दत्तमत और (2) भारित प्रकारों में से ''दत्तमत'' शीर्षक के नीचे बजट में जिन राशियों को दिखाया जाता है उन पर सदन में मतदान किए जाने के कारण ''दत्तमत'' राशि के अनुदान के बारे में किसी भी अनुदान (1) को कम करने के लिए या (2) उसमें से किसी भी विषय को हटाने के लिए या (3) किसी

विषय को कम करने के लिए सदस्य ''कटौती सूचना'' दे सकते हैं। लेकिन अनुदान को बढ़ाने या उसके मूल उद्देश्य को बदलने के लिए ऐसे प्रस्ताव नहीं दिए जा सकते।

कटौती सूचना, जिस मांग से संबंधित है उस मांग को सदन में चर्चा और मतदान के लिए जिस दिन रखा जाना है उससे चार दिन पहले देना होता है। (एक सदस्य हर विभाग के लिए कम से कम 10 सूचनाएं दे सकता है) इससे संबंधित प्रारूप आपके राज्य के विधानसभा सचिवालय में मिल सकते हैं।

कटौती सूचनाएं निम्नलिखित तीन प्रकार की हैं-

(1) एक रुपए की कटौती (नीति विषयक कटौती)-अति महत्त्व के नीति विषयक प्रश्न जिनमें सरकार की आलोचना हो उसे इस विषय में रखा जाता है। ये कटौती सूचना अविश्वास दर्शक मानी जाती है और इसीलिए सरकार पर अविश्वास प्रकट करना हो तो ही ऐसी सूचना देनी चाहिए। इस सूचना को सदन में रखने के बाद मंजूर होने पर संसद की मान्य प्रथा के अनुसार मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है।

(2) लाक्षणिक कटौती-सरकार के सामान्य कारोबार या संबंधित विभाग की सामान्य नीति पर चर्चा करनी हो तो किसी भी मांग पर नाममात्र (सांकेतिक) 100 रुपए की कटौती की सूचना देनी चाहिए। ऐसी कटौती सूचना सदन में मंजूर होने का अर्थ है कि सदन ने सरकार की नीतियों पर असंतोष व्यक्त किया है।

(3) विशिष्ट राशि की कटौती-मांग में या उसमें किसी विषय के बारे में विशिष्ट राशि की कटौती जब सुझानी हो तो उस विशिष्ट राशि की कटौती की सूचना देनी चाहिए। ऐसी सूचना देते समय उक्त कटौती कैसे की जा सकती है ये उन सदस्यों को दिखाना चाहिए। ऐसी सूचना सदन में मंजूर होने पर केवल कम की गई राशि के अनुदान के लिए मांग पर ही मतदान किया जाता है। ❍

5. निजी सहायक की भूमिका एवं दायित्व

निजी सहायक (निजी सचिव) के कर्तव्य एवं उनका व्यावहारिक निर्वहन किसी भी जनप्रतिनिधि के मूल्यांकन का महत्त्वपूर्ण अंग है निजी सहायक की दक्षता विधायक की क्षमता को बढ़ाती है। विधायक के प्रति लोगों के विश्वास निर्माण में भी सहायक की कर्तव्यपरायणता की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राजनीति करने वाले नेताओं का जनता के प्रति उत्तरदायित्व मुख्यत: निम्नानुसार होता है

1. **क्षेत्र की जनता**
2. **संगठन**
    i. **क्षेत्रीय कार्यकर्ता**
    ii. **वरिष्ठ नेतृत्व**
3. **विचार परिवार के संगठन**
4. **महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत व सामाजिक संपर्क**

निजी सहायक का उत्तरदायित्व विधायक के प्रति होता है इसलिए उसके काम को उपरोक्त सभी के इच्छित कार्य सम्पादित करने के साथ-साथ विधायक का इनके साथ सतत संपर्क भी सुनिश्चित करना होता है।

इनके साथ ही विधायक का विभिन्न सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से भी बेहतर सामंजस्य बनाये रखना एवं उनसे स्वयं भी यथायोग्य सामंजस्य स्थापित करना निजी सहायक की जिम्मेदारी है।

निजी सहायक के दैनंदिन कार्य निम्नानुसार होते हैं जिनमें उसे उपरोक्त व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायित्व के साथ सांमजस्य स्थापित करना

होता है। ये कोई 9 से 5 का पेशा नहीं, राजनीति है जिसमें निजी सहायक को भी जुटना पड़ता है। इस क्षेत्र में संतुलन ही सब कुछ है। **अति और कमी दोनों ही वर्जित हैं और आपका व्यक्तिगत यहाँ कुछ भी नहीं है** यही निजी सहायक के कार्य का मूल मन्त्र है।

विधायक का भ्रमण कार्यक्रम

i. प्रतिदिन का भ्रमण कार्यक्रम तय करना।

ii. समाचार सोशल मीडिया से प्रसारित करना तथा अग्रिम सूचना स्थानीय कार्यकर्ताओं को देना जरुरी है। परन्तु इसमें ध्यान रहे कि कोई छूटने न पाए। राजनैतिक कार्यकर्ताओं में आपसी द्वेषभाव हो सकता है इसलिए उनके माध्यम से भेजी गयी सूचना की निगरानी स्वयं करनी होगी।

iii. भ्रमण के दौरान जिन कार्यकर्ताओं, प्रमुख व्यक्तियों के यहाँ मांगलिक कार्य या दुखद घटना के समय विधायक का पहुँचना न हो पाया हो वहाँ जाना।

iv. भ्रमण में मिले ज्ञापनों, आवेदनों का चिंतन करना एवं उन पर कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

विधानसभा (सदन) के कार्य

i. पार्टी व्हिप के अनुसार बैठकों में समय से विधायक की उपस्थिति होनी चाहिए।

ii. विधानसभा प्रश्न तैयार करने में संगठन द्वारा बताये गये स्थानीय मुद्दे (यदि न बताये गये हों तो विधायक सत्र के पूर्व अवश्य जानकारी प्राप्त करें, कार्यकर्ताओं द्वारा बताई गयीं ज्वलंत समस्याएं एवं अधोसंरचनात्मक समस्याएं समायोजित करना)

iii. सत्र के दौरान समय का पूरा सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के विभिन्न कार्य सूचीबद्ध कर सम्बंधित मंत्रियों, अधिकारियों

से समय लेकर विधायक की मीटिंग दस्तावेजों सहित सुनिश्चित करना।

iv. प्रश्नकाल, शून्यकाल, विशेषाधिकार, निजी विधेयक, बजट आदि के नियमों का अध्ययन करके किसके लिए किस प्रकार कब सूचना प्रेषित करना है, किस उपकरण का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है इन विषयों पर विधायक से चर्चा कर उनकी भागीदारी तय करना।

विधायक निधि – व्यय का अधिकाधिक राजनैतिक लाभ लेने के लिए निम्न बिंदु ध्यान में रहने चाहिएं।

i. जिस कार्य में व्यय किया जा रहा है उसके लाभान्वितों की संख्या।

ii. व्यक्तिगत रुचि के कार्यों में निधि नहीं देना चाहिए।

iii. कार्य तय करते समय उसके काम का टिकाऊ होना सुनिश्चित करें।

iv. अधोसंरचनात्मक कार्यों को महत्त्व देना चाहिए।

v. प्रत्येक गाँव में अलग-अलग समूह होते हैं, 5 साल में सभी को लगभग समान लाभ मिले यह प्रयास करें।

vi. कई स्थानों पर कोई निर्माण या विकास कार्य आवश्यक होता है जो विधायक करना चाहते हैं परन्तु जागरूकता के अभाव में मांग नहीं आती तब क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार सूची बनवाएं एवं वह काम करने का वातावरण बनवाएं।

vii. विचार परिवार के संगठनों की राय एवं मांग का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। उदाहरण-किसी गाँव में नलकूप लगना है और वहाँ विचार परिवार का विद्यालय है तो प्रयास हो कि उसकी सुविधा का ध्यान रखा जाये।

viii. कोई भी कार्य जनभावना के विपरीत न हो, इसलिए वहाँ उत्तरदायी संस्थान की अनुशंसा ले लेने का प्रयास करें।

ix. निधि शतप्रतिशत खर्च हो जाये इसके लिए चरणबद्ध योजना वर्षारंभ में ही बना लें।

x. निधि के व्यय की निगरानी दैनंदिन की जानी चाहिए तभी व्यय हो पायेगा।

xi. पूरा रिकॉर्ड बनायें, प्रयास करें बूथश: बना लें।

xii. शिलान्यास व लोकार्पण में स्थानीय महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों, कार्यकर्ताओं, नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित करें।

शिकायत एवं अनुशंसा

प्रत्येक शिकायत करने वाला व्यक्ति महत्त्वपूर्ण है। वह आपके लिए समस्या नहीं है बल्कि स्वयं समस्याग्रस्त होकर उसके समाधान की आशा से आपके पास आया है। उसके साथ उचित व्यवहार करें जो व्यक्ति किसी काम के लिए आया है। उसकी लिखित शिकायत न हो तो कार्यालय सहायक से अथवा स्वयं वहीं लिखवा लेना चाहिए (जो कार्यकर्ता बैठे हों उनकी सहायता भी ली जा सकती है) क्योंकि जो व्यक्ति आपके पास आया है उसकी मदद करना आपका दायित्व है।

बीमारी में इलाज हेतु सहायता, निशक्त सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, राशन न मिलना जैसी समस्याओं को संवेदनशील मानते हुए उनके त्वरित निराकरण हेतु इनसे सम्बंधित सरकारी योजनाओं व जिम्मेदार अधिकारियों की पूरी जानकारी सदैव अद्यतन रखें।

पुलिस व स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से कार्यव्यवहार करते हुए मर्यादा व संतुलन बनाये रखें जिससे दबाव भी बना रहे और विधायक एवं पार्टी की छवि पर कोई नकारात्मक प्रभाव भी न पड़े।

i. शिकायतों का निवारण निश्चित सीमा में हो यह निश्चित करने

के लिए सम्बंधित विभाग को भिजवाते हुए समय सीमा अंकित कर उत्तर मांग लें।

ii. प्राप्त उत्तर शिकायतकर्ता तक पहुँचा दें।

iii. प्राप्त शिकायतों को विभागशः अथवा ब्लॉकशः सुविधानुसार वर्गीकृत करें व क्रमांकित कर रजिस्टर में दर्ज करें जिससे निगरानी कर सकें समय सीमा में उत्तर न आने पर स्मरण पत्र अवश्य भेजें।

iv. शिकायतकर्ता का अधिकतम व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें।

v. सार्वजनिक व निजी अनुशंसायें करते समय उत्तरदायित्व व जनभावनाओं का ध्यान रखें।

समीक्षा एवं निगरानी

i. विभिन्न शासकीय बैठकों में जाने से पूर्व एजेंडा एवं पिछली बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन कर विधायक को संक्षिप्त विवरण दें।

ii. विभागों की समीक्षा बैठकों में जाने के पूर्व समस्त लम्बित अनुशंसाएं एव शिकायतों का संकलन बनायें।

iii. बैठक के पश्चात् बैठक के कार्यवृत्त आवश्यक रूप से मंगवाकर अध्ययन करें यदि विधायक जी द्वारा प्रस्तुत विषयों का समावेश न हुआ हो तो सम्बंधित व्यक्ति से सुधार करवाएं।

iv. विभाग से सम्बंधित सम वैचारिक संगठनों की राय भी बैठक में जाने से पूर्व ली जा सकती है। उदाहरण, स्कूल शिक्षा विभाग की निगरानी बैठक के पूर्व विद्या भारती से।

कार्यक्रमों में भागीदारी

i. धार्मिक, सामाजिक सार्वजनिक कार्यक्रमों में व त्योहारों के सार्वजनिक आयोजनों में।

ii. विधान सभा क्षेत्र में होने वाले समस्त शासकीय कार्यक्रमों में।

iii. पार्टी संगठन की बैठक, प्रवास व अन्य कार्यक्रम।

iv. कार्यकर्ताओं, मित्र, परिचित, रिश्तेदारों के सुखद दुखद कार्यक्रम।

उपलब्धियों का प्रचार

i. प्रतिदिन की गतिविधियों की प्रेस विज्ञप्ति।

ii. सोशल मीडिया पर प्रतिदिन के फोटोग्राफ, खबरों की कतरन पोस्ट करना।

iii. मीडियाकर्मियों से सामंजस्य बनाना। एक दो ऐसे लोग भी मीडिया के अन्दर चिह्नित करना जो पार्टी की विचारधारा और अपने काम को भलीभांति समझते हों और संकट प्रबंधन में सहायक हों।

iv. समस्त विकास कार्य, जनप्रिय कार्यों को सूचिबद्ध ढंग से कार्यकर्ताओं तक पहुँचाना। इसके लिए मंडलश: व्हाटस एप्प ग्रुप बनाये जा सकते हैं।

संबंधों का संवर्धन

i. क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी, महत्त्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक प्रतिनिधि व संस्थाएं, पारिवारिक व्यक्तियों को सूचीबद्ध कर विधायक से उनके सम्बंधों के आधार पर वर्गीकृत कराना।

ii. उल्लिखितों से विधायक के मेल मिलाप होते रहें व उनकी अपेक्षाएं जहाँ तक संभव हो पूरी हो सकें ऐसा प्रयास करना।

iii. नये संपर्कों को सूचीबद्ध दैनंदिन आधार पर करना।

iv. विधायक के समय का पूर्ण उपयोग जनसंपर्क में हो सके इसकी व्यवस्था करना।

v. जनसंपर्क के नए अवसर तलाशना।

अहर्ताएं जो एक निजी सहायक में अपेक्षित हैं

i. निर्वाचन क्षेत्र के गाँवों, इलाकों के प्रमुख सहयोगियों व विरोधियों की जानकारी।

ii. निर्वाचन क्षेत्र के जातिगत, सामाजिक समीकरण की जानकारी।

iii. वाक्चातुर्य/संवाद कौशल।

iv. तकनीकी दक्षता।

v. विचारधारा के प्रति समर्पण का भाव।

vi. कूटनीतिक क्षमता।

vii. सहृदयता/सुलभता।

viii. पार्टी के प्रति निष्ठा।

ix. विधायक के साथ रिश्ते की अनुकूलता (संकेतों को समझने की क्षमता के स्तर तक)

x. कार्यकर्ताओं व अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संयोजकता।

xi. गोपनीयता बनाये रखने की क्षमता।

xii. विधायक के प्रति निष्ठा।

6. कार्यालय प्रबंधन

कोई भी जननेता-विधायक प्रभावशाली ढंग से अपना कार्य करे यह तभी संभव है जब उसके पास बेहतर कार्यालय हो। कार्यालय के माध्यम से ही विधायक हर समय अपने मतदाताओं व कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहता है। कार्यालय प्रबंधन छः हिस्सों में बांटा जा सकता है।

1. कार्यालय का माहौल
2. कामकाज
3. प्रचार व प्रसार
4. कर्मचारियों का प्रबंधन
5. वित्तीय प्रबंधन
6. 24X7 उपलब्धता

1. कार्यालय का माहौल

राजनीति में भी कई बार नेता का पहनावा उसकी पहचान बन जाता है। पहनावे की तरह कार्यालय भी नेता की पहचान होता है। यह पहचान बनाने के लिए कार्यालय में स्वस्थ माहौल बनाना आवश्यक है।

2. कामकाज

विधायक के तय कार्यक्रमों को डायरी में लिखना जरुरी है। वह डायरी विधायक के पास और उसकी कॉपी उसके सचिव के पास होनी चाहिए। प्रतिदिन का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। आने-जाने वाले पत्रों का रिकॉर्ड, इनवर्ड रजिस्टर, आऊटवर्ड रजिस्टर में रखना चाहिए।

Inward Register

अनु क्र.	दिनांक	पत्र लेखक कंपनी का नाम, पता	विषय	रिमॉर्क	स्मरण
1	10/5/2017	श्री सुदाम यादव कुरार गांव, मालाड, मुंबई	विधायक कोष से संगणक	विचाराधीन	10/7/2017

Dispatch Register

अनु क्र.	दिनांक	पत्र किसे	विषय	रिमार्क	स्मरण
1	28/07/2018	महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी मा. राष्ट्रपति	देश की कानून व्यवस्था	मार्च 2018 का दंगल	18/05/2017

साधारणत: राजनीतिक कार्यालय में कम से कम कर्मचारियों द्वारा अधिकतम काम कराने के प्रयास होते हैं। ऐसे में रोजमर्रा के पत्राचार के ड्राफ्ट बना कर समय की बचत की जा सकती है। जैसे

श्री.....

अत्यंत स्नेह से दिए अपनी सु पुत्री सु. सौ. कां ..... के विवाह के निमंत्रण के लिए धन्यवाद।

पूर्वनियोजित कार्यक्रम के कारण इच्छा होते हुए भी मैं इस समारोह में शामिल नहीं हो सकूँगा। आशा है आप मेरी अनुपस्थिति के लिए क्षमा करेंगे। सौ. कां..... व श्री ..... का दाम्पत्य जीवन सुख, शांति तथा समृद्धि से परिपूर्ण हो यही शुभकामना है।

स्नेह के साथ,

आपका,

(----------)

सांसद

सभी पत्राचार को योग्य फाईल में फाईल करना चाहिए।

3. प्रचार - प्रसार का प्रबंधन

आजकल विज्ञापन देखकर ही कौन सा मंजन अच्छा है यह तय होता है। प्रचार-प्रसार से मात्र वस्तुओं की नहीं, इन्सानों की लोकप्रियता भी बढ़ती है। राजनीति में बने रहने के लिए विधायक हर दम चाहेंगे कि उनका नाम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे।

4. मीडिया प्रबंधन

अखबार या टीवी चैनेल की खबरों में आने से विधायक पलक झपकते ही सैंकड़ों लोगों तक पहुँच सकता है। लेकिन सकारात्मक सुर्खियों में बने रहना आसन नहीं है, उसके लिए कार्यालय में मीडिया संपर्क की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए।

इंटरनेट

प्रेस विज्ञप्ति, कार्यवृत्त के अलावा समय-समय पर संक्षिप्त प्रचार साहित्य बनवाना, प्रसार के लिए बैनर आदि तैयार करवाना इन सारे कामों का प्रबंधन कार्यालय से ही करना होता है। इंटरनेट जनता से संपर्क करने का और प्रचार-प्रसार का एक और सशक्त साधन है।

अन्य

इस काम के साथ इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जो जनता विधायक से मिलने कार्यालय आती है, उनमें हम विधायक के कामों का प्रचार और प्रसार कैसे करें। इसके लिए आपके कार्यालय में जो टीवी सेट लगा है उसका प्रयोग करें। समय-समय पर लिए गए वीडियो को संपादित कर उसे टीवी से दिखाना चाहिए।

5. कर्मचारियों का प्रबंधन

किसी भी विधायक या राजनीतिज्ञ का कार्यालय अन्य कार्यालयों से काफी अलग होता है। व्यवासायिक कार्यालय शनिवार-रविवार बंद रख सकते हैं, लेकिन विधायक के कार्यालय को यह सुविधा देना संभव नहीं होता। सार्वजनिक कार्यक्रम शनिवार, रविवार को होते हैं। संसद सत्रों के दिनों में तो केवल इन्ही दो दिनों में निर्वाचन क्षेत्र में व कार्यालय में आना

संभव होता है। लेकिन बिना अवकाश काम करना किसी भी कर्मचारी के लिए संभव नहीं होता। इसलिए कर्मचारियों का प्रबंधन करते वक्त उनको अलग-अलग दिनों पर साप्ताहिक अवकाश देना उचित रहता है।

6. वित्तीय प्रबंधन

राजनीतिक कार्यालय की वित्त व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। वित्तीय प्रबंधन निम्नलिखित रूप में बांटा जा सकता है:

i) कर्मचारिओं का वेतन

कर्मचारियों का वेतन देने में कभी भी देरी नहीं होनी चाहिए। उनकी उपस्थिति, ओवरटाइम दर्ज कर उसके अनुसार वेतन देना चाहिए।

कार्यालय चलाने का खर्च

कार्यालय के खर्चे का लेखाजोखा किसी भी समय देने की स्थिति में, हमें होना चाहिए। आसान तरीके से निम्नानुसार खर्च लिखकर आप पारदर्शी व्यवहार कर सकते हैं:-

ii) विधायक पर होने वाला खर्च

पूरा कार्यालय ही विधायक का होता है। फिर भी सिर्फ उन पर होने वाले खर्चे को अलग से लिखा जाए। इसमें विधायक के व्यक्तिगत व पारिवारिक खर्चों को भी अलग स्थान दिया जाए।

संगठन पर होने वाला खर्च

विधायक किसी न किसी संगठन से जुड़ सकते हैं। ऐसे खर्चों का अलग से जिक्र करना चाहिए।

iii) प्रचार-प्रसार पर होने वाला खर्च

मीडिया पर होने वाला खर्च यदि बैनर, वीडियोग्राफी, विमोचन आदि के खर्चे से अलग लिखें तो वार्षिक बजट बनाने में मदद होती है।

7. 24x7 उपलब्धता

वैसे तो राजनीतिक कार्यालय की प्रबंधन व्यवस्था को शब्दों में बांधना कठिन है। वक्त के अनुसार इसमें बदलाव करने पड़ते हैं। मगर इतना तय है कि ऐसा लगे कि यह कार्यालय और उसके माध्यम से विधायक 24x7 उपलब्ध है। ❍

7. व्यक्तित्व विकास

व्यक्तित्व में विकास समय की मांग है। आज समय बदल चुका है। हर घर बिजली, हर गाँव में स्कूल-कॉलेज खुल जाने के कारण शिक्षा का दायरा बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में व्यक्तित्व विकास बेहद जरूरी है।

१. व्यक्तित्व विकास क्यों?

1. सफल जीवन का मंत्र:-जहाँ सफलता है वहीं संभावनाएं हैं। अत: व्यक्ति को चाहिए कि हर समय अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करे।
2. विकास:-हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित संगठन है, इसलिए कार्यकर्ताओं का विकास ही पार्टी के विकास को तय करेगा।
3. आदर्श नागरिक बनने में भूमिका:-राष्ट्र को ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है, जो देश व समाज को शिखर पर पहुँचाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें आदर्श नागरिक बनने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।
4. लक्ष्य की प्राप्ति:-हमें अपने जीवन में निरंतर एक लक्ष्य बनाकर उसे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने जीवन को हर वक्त गतिशील रखना होगा।

२. व्यक्तित्व के दो प्रकार

1. बाहरी व्यक्तित्व:-बाहरी व्यक्तित्व से आप सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करते हैं।
2. कपड़े:-व्यक्तित्व में कपड़ों का महत्त्व है। पहने हुए कपड़े सामने वाले को प्रभावित करते हैं।

3. आवाज:–हमारी आवाज हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है। आवाज चाहे ओजस्वी हो या तेजस्वी हो, लेकिन हमारी बोली इतनी सरल व मीठी होने चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को आसानी से समझ में आए।
4. कार्य पद्धति:–परिस्थिति देखकर हमें भीतर से यह भाव जगाना होगा कि हम हमारी कार्य पद्धति को कैसे बेहतर बनाएं और समय को पहचान कर क्रियाशीलता बढ़ाएं।
5. मन, बुद्धि, विचार, भावना:–मन, बुद्धि, भीतर से उठने वाले विचार और भावना ये सभी बातें हमारे भीतरी व्यक्तित्व को और बेहतर बनाती हैं।

३. व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले बिंदु

1. संस्कार:–संस्कार का अर्थ है हमें स्वयं को इस प्रकार ढालना कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों से दूसरे लोग प्रभावित होकर प्रशंसा करें और हमारा अनुकरण भी करें। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में संस्कारों का होना बहुत जरूरी है।
2. परिवार:–माता–पिता और रिश्तेदार–परिवार ये सब ऐसे शिल्पी हैं जिनकी बदौलत हम जीवन में सही रास्ते पर बढ़ते हैं।
3. दोस्त:–परिवार से बाहर दोस्त एक ऐसी कड़ी हैं जो सुख–दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं, इसलिए दोस्त ऐसे बनाएं जो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाएं।
4. पाठशाला:–शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य का विकास। शिक्षित व्यक्ति सब पर अपना प्रभाव डालता है, इसलिए पाठशाला का जीवन में बड़ा प्रभाव है।
5. शिक्षक:–गुरु, यानि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्ति। व्यक्तित्व विकास में शिक्षक एक महत्त्वपूर्ण आधार हैं।

6. व्यावसायिक स्थान:- हमारा जो व्यवसाय का स्थान है जहाँ पर हम आधे से ज्यादा समय बिताते हैं, वहाँ के कार्य का वातावरण भी हमें प्रभावित करता है।

7. पड़ोसी और समाज:- जीवन में पड़ोसी के साथ मधुर रिश्ते होने चाहिएं क्योंकि पड़ोसी ही प्रथम रिश्तेदार होता है।

४. व्यक्तित्व विकास और शिक्षा

1. व्यक्तित्व का विकास:-आपके व्यक्तित्व और आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपकी पहचान बनती है, जिसका उदाहरण समाज द्वारा दिया जाता है। इसलिए उसका विकास करें।

2. व्यक्ति के विचार तथा आविष्कार:-व्यक्ति के विचार सार्वभौमिक होने चाहिए। सबके प्रति समानता का भाव होना चाहिए।

3. कार्य शैली तथा नजरिया:-व्यक्तित्व विकास के क्रम में राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति की कार्य शैली व्यापक होनी चाहिए, उसी प्रकार नजरिया भी बड़ा होना चाहिए।

५. व्यक्तित्व विकास के तरीके

1. पढ़ाई:-अध्ययन का कोई विकल्प नहीं है इसलिए कार्यकर्ताओं को लगातार अध्ययन करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए।

2. लेखन:-पढ़ाई के साथ-साथ लेखन का भी महत्त्व है, इसलिए अपनी लेखनी के माध्यम से अपने व्यक्तित्व विकास के मार्ग को हासिल किया जा सकता है।

3. लक्ष्य:-हमें अपने जीवन में निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। हमारा मूल उद्देश्य क्या है, उस जगह पर अटल रहकर लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

4. दूसरों की बातों को सुनना:-अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करने के लिए

दूसरों की बात भी गंभीरतापूर्वक सुननी चाहिए।

5. जनसंपर्क:-राजनीति के क्षेत्र में जनसंपर्क एक बहुत बड़ा माध्यम है तथा उस माध्यम के द्वारा हम जन-जन तक पहुँच कर अपने विचारों कार्य पद्धति और व्यक्तित्व को समाज के बीच ले जाकर लाभ हासिल कर सकते हैं।
6. बोलने एवं सुनने की कला:-स्वयं कम बोलने और दूसरों को सुनने की इस कला को हमें बेहतर बनाना चाहिए।
7. स्वास्थ्य और आहार-विहार:-उत्तम स्वास्थ्य के लिए सात्विक आहार-विहार जरूरी है। सुबह जल्दी उठकर व्यायाम आदि दिनचर्या हमें स्वस्थ बनाए रखने में लाभकारी है।
8. भाषणकला:-हमें यह प्रयास करना होगा कि भाषण इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि सबकी समझ में सरलता से आ जाए।
9. समय प्रबंधन:-दिनचर्या को निर्धारित करना चाहिए ताकि व्यक्तित्व विकास के मार्ग पर हम कुशलतापूर्वक आगे बढ़ सकें।

६. व्यक्तित्व विकास में मुश्किलें

1. चिंता-भय:-चिंता और डर व्यक्तित्व विकास में बाधा हैं। इसलिए हमें चिंता को त्याग कर और निर्भय होकर व्यक्तित्व के विकास को आगे बढ़ाना चाहिए।
2. तनाव:-सत्तावादी राजनीति हमें परस्पर प्रतियोगी बना देती है, जिससे कई बार तनाव बढ़ता है, इससे स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है।
3. नशा:-नशा हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव तो डालता ही है साथ ही हमारे सार्वजनिक जीवन को भी प्रभावित करता है।
4. निराशा:-निराशा हमारे व्यक्तित्व को ऊपर नहीं उठा सकती और निराशा के परिणाम अंत में अपयश ही देते हैं, इसलिए इन बाधाओं

से बचना चाहिए।

5. अस्थिर जीवनः-योजना को पूर्ण करें, निरंतर बैठकर चिंतन करें।

७. मुश्किलों का इलाज

1. ध्यान, प्राणायामः-यह सच है कि राजनीतिक क्षेत्र में बाधाएं भी हैं लेकिन उनका इलाज भी है। ध्यान-प्राणायाम से मानसिक तनावों को दूर किया जा सकता है।
2. सकारात्मक नजरियाः- हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। कभी भी मन में नकारात्मक सोच को पैदा नहीं होने दें।
3. मनपसंद विषय का अध्ययनः-मनपसंद विषय का चुनाव करके उसका अध्ययन करें।

८. सामाजिक दायित्व और मूल्यों का पालन

1. अधिकारः-भारतीय संविधान में सामाजिक दायित्व और मूल्यों के क्रम में हमें संवैधानिक अधिकार मिले हैं, इसलिए अधिकारों के प्रति हमें जागरूक रहकर उसका लाभ लेना चाहिए।
2. भ्रष्टाचार मिटानाः-हमारे देश में पिछले कई दशकों से भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या बन गयी है, इसको नष्ट करने के लिए अभियान चलाना चाहिए।
3. आंतकवाद के खिलाफ संघर्षः-आतंकवाद देश के विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र है ऐसी स्थिति में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए हम सबको मिलकर अभियान चलाना चाहिए।
4. सामाजिक समताः-असमानता अभिशाप है। ऐसी स्थिति में सामाजिक दायित्व और मूल्यों के पालन के क्रम में सामाजिक समता को स्थापित कर हम भली-भांति मूल्यों का पालन कर सकते हैं।

5. स्त्री-पुरुष समानता:-पिछले कुछ वर्षों से स्त्री-पुरुष में समानता के भाव के रहते आज महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें।
6. भारतीय संविधान के प्रति आस्था:-भारत का संविधान सबको मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इस संविधान में बिना किसी भेदभाव के न्याय की व्यवस्था है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता को भारतीय संविधान के प्रति आस्था रखनी चाहिए।
7. नेतृत्व:-नेतृत्व वह कला है जिसके माध्यम से कार्यकर्ताओं में निखार लाया जा सकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं का समुचित विकास ही स्वस्थ नेतृत्व की पहचान है। ❍

8. मीडिया/सोशल मीडिया: निजी सहायकों हेतु जरूरी दिशानिर्देश

एक निजी सहायक के रूप में आपका यह महत्त्वपूर्ण दायित्व है कि मीडिया में आपके कार्यालय एवं जिस भी कार्यकर्ता से आप जुड़े हैं उसके संबंध में सदैव एक सकारात्मक छवि बने। किसी भी मीडियाकर्मी को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यालय में आपके वरिष्ठ अधिकारी अक्सर मीडिया से जुड़े किसी न किसी मसले को लेकर अथवा मीडिया संबंधी गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं और साथ ही उन्हें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना पडता है कि मीडिया व सोशल मीडिया में पार्टी को लेकर क्या चल रहा है। ऐसी स्थिति में कार्यालय की व्यवस्थाओं और मीडियाकर्मियों से व्यवहार की पूरी जिम्मेदारी निजी सहायक पर आ जाती है। एक निजी सहायक के रूप में आप कार्यालय की पहचान हैं और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं, मीडियाकर्मियों तथा जनता के बीच एक सेतु भी हैं।

इसलिए एक निजी सहायक के रूप में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है:

1. कार्यालय में आने वाले मीडियाकर्मियों से शिष्टता एवं सावधानीपूर्वक व्यवहार किया जाए। पत्रकारों से हमेशा सौहार्द्रपूर्ण संबंध रखें। बातचीत में मित्रवत् एवं सहयोगी व्यवहार झलकना चाहिए।
2. आपके कार्यालय के संबंध में जो भी मीडियाकर्मी उपयोगी हैं उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार उनका एक सुव्यवस्थित 'डाटाबेस' (Database) तैयार करें। 'डाटाबेस' में उनके मोबाईल फोन नंबर,

ईमेल, सोशल मीडिया हैंडल्स, व्हाट्सएप नंबर तथा उनके कार्यालय द्वारा उन्हें दी गयी 'बीट' की पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी हो। बेहतर होगा कि ऐसे 'डाटाबेस' को 'एक्सल' अथवा किसी ऐसे 'डाटाबेस मैनेजमैंट सॉफ्टवेयर' में तैयार किया जाए, जिसमें उससे संबंधित जानकारी को प्राप्त करने, उसका उपयोग करने तथा उसे अद्यतन करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

3. यदि कोई विशेष कारण न हो तो मीडियाकर्मियों को अधिक समय तक प्रतीक्षा न कराएं। यदि आपके वरिष्ठ अधिकारी किसी अति आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं अथवा किसी मीटिंग में हैं तो पत्रकारों को स्पष्ट बता दें कि वे कितनी देर में उपलब्ध हो सकेंगे। अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा न कराएं।
4. साथ ही इस बात का भी ध्यान रहे कि कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में मीडियाकर्मियों/संवाददाताओं को अपने कार्यालय में खाली बैठाकर गप्पे हांकने के लिए प्रोत्साहित न करें।
5. इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मीडियाकर्मियों की ओर से अधिकारी हेतु जो भी संदेश प्राप्त हो वह शीघ्रता एवं सावधानीपूर्वक, बिना किसी छेडछाड़ के संबंधित अधिकारी तक पहुँचा दिया जाए।
6. एक निजी सहायक के रूप में अपनी ओर से किसी भी प्रकार की अधिकृत अथवा अनधिकृत टिप्पणी किसी भी मीडियाकर्मी के समक्ष आपको कभी नहीं करनी चाहिए।
7. स्मरण रहे कि कोई भी निजी सहायक मीडिया से किसी भी प्रकार की बात करने के लिए अधिकृत नहीं है। निजी सहायक का काम सिर्फ मीडिया और अपने कार्यालय के बीच समन्वय और मधुर संबंध स्थापित करना है।
8. समय-समय पर जारी होने वाली प्रैस विज्ञप्तियों को अपनी तरफ

से किसी भी प्रकार की टिप्पणी किये बगैर मीडिया को भेज देना अपेक्षित है। यदि किसी पत्रकार को प्रेस विज्ञप्ति के संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण चाहिए तो उसे संबंधित व्यक्ति से बात करने के लिए कहें और अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण न दें।

9. ऑफिस अथवा किसी अन्य स्थान पर होने वाली सभी प्रकार की प्रैस मीटिंग्स अथवा प्रैस वार्ता हेतु पूरी व्यवस्था करें। पहले ही यह सुनिश्चित कर लें कि जहाँ प्रैस वार्ता होनी है वहाँ सभी प्रकार के आवश्यक उपकरण अर्थात् प्रैस को दी जाने वाली सामग्री आदि समय पर उपलब्ध हो।

10. किसी प्रकार की टेलीविजन चर्चा, टीवी शो अथवा ऐसे ही किसी अन्य कार्यक्रम की व्यवस्था करते समय उस कार्यक्रम के संबंध में स्टुडियो से पूरी जानकारी एकत्र कर लें, जैसे कि 'शूट' का समय, उस स्थल पर पहुँचने का समय, स्थान, एंकर का नाम, चर्चा में शामिल अन्य अतिथियों के नाम, चर्चा का वास्तविक बिन्दू आदि। यह सभी जानकारी प्राप्त करके संबंधित वरिष्ठ को समय पर और सावधानीपूर्वक दे दें। हो सके तो यह पूरी जानकारी लिखित में दें।

11. किसी भी प्रकार के पूर्व निर्धारित साक्षात्कार/प्रैस वार्ता, टीवी शो आदि हेतु पहले से ही विषय से संबंधित सभी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी, सामग्री, नवीनतम समाचार, इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी आदि वरिष्ठ को सुव्यवस्थित ढंग से 'टैग' लगाकर उपलब्ध करा दें। हो सके तो पूरी जानकारी का एक संक्षिप्त नोट बना दें।

12. यह निजी सहायक की जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक उस जानकारी पर पैनी नजर रखे जो आपके कार्यालय तथा अधिकारी से संबंधित समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सोशल मीडिया व विभिन्न वेबसाइटों पर

प्रसारित हुई है अथवा हो रही है। यह कार्य प्रतिदिन व प्रतिक्षण करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की पूरी जानकारी सुव्यवस्थित फाइलों में एकत्र की जाए और संबंधित वरिष्ठ के संज्ञान में प्रतिदिन लाई जाए। सभी महत्त्वपूर्ण जानकारी की 'सॉफ्ट' कापी अलग-अलग फोल्डर में सुरक्षित रखी जाए और सभी फोल्डरों पर सामग्री से संबंधित नाम अथवा 'टैग' हों। आपके कार्यालय अथवा कार्यकर्ता से संबंधित जो भी जानकारी सोशल मीडिया में टैग की जा रही है अथवा किसी वेबसाइट आदि पर प्रसारित हो रही है उसकी ओर अपने वरिष्ठ का ध्यान तुरंत आकृष्ट करें।

वास्तव में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए अपनी स्वयं की सामान्य समझ पर्याप्त है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह बताने के लिए यदि सभी बिन्दू लिखते जाएंगे तो यह बहुत लंबी सूची बन जाएगी। उपरोक्त जानकारी में सिर्फ सामान्य व्यवहार संबंधी दिशानिर्देशों का ही जिक्र किया गया है।

सोशल मीडिया

आजकल 'सोशल मीडिया' भी सार्वजनिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। यह 'प्रिंट मीडिया' 'समाचार पत्रों अथवा पत्रिकाओं' तथा परम्परागत 'इलेक्ट्रॉनिक मीडिया' 'टेलीविजन' से एकदम अलग है। यह गुणवत्ता, पहुँच, आवृत्ति, उपयोगिता, तात्कालिकता, स्थायित्व आदि की दृष्टि से भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भिन्न है। सोशल मीडिया एक प्रकार से 'संवाद-संचार व्यवस्था' के रूप में काम करता है, जिसमें सूचना के बहुत से स्रोत होते हैं और सूचना के प्राप्तकर्ता भी बहुत होते हैं। यह परम्परागत मीडिया से एकदम भिन्न है, जिसमें एकपक्षीय संचार मॉडल काम करता है यानि सूचना का एक स्रोत होता है और सूचना प्राप्तकर्ता बहुत अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए एक समाचार पत्र

बहुत लोगों तक पहुँचता है। इसी प्रकार 'रेडियो स्टेशन' से जो जानकारी अथवा कार्यक्रम प्रसारित होते हैं वही सभी श्रोताओं तक पहुँचते हैं। सोशल मीडिया का एक दूसरा बड़ा लाभ अथवा चुनौती यह है कि इसके माध्यम से जानकारी एक मिनट से भी कम समय में लाखों लोगों तक पहुँच जाती है। इसलिए सार्वजनिक जीवन में सक्रिय कार्यकर्ता अथवा जनसामान्य से जुड़े कार्यालय के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि वह स्वयं से संबंधित सकारात्मक और नकारात्मक सभी प्रकार की जानकारी पर पैनी नजर रखे। यह कार्य निजी सहायक को ही करना होता है और यह पूरी जानकारी संबंधित कार्यकर्ता को समय पर उपलब्ध कराना भी उसी की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया के संबंध में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है:

1. अपने ऑफिस/कार्यकर्ता के सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमेशा पैनी नजर रखें और सोशल मीडिया को संभालने वाले व्यक्ति को वहाँ होने वाली किसी गंभीर गतिविधि के बारे में तुरंत सूचित करें।
2. आपके ऑफिस/कार्यकर्ता के सोशल मीडिया समूह में शामिल होने वाले नये लोगों/मित्रों और उनकी प्रोफाइल पर कड़ी नजर रखें। क्योंकि बहुत से लोग फर्जी नामों और पहचान से आपके समूह में शामिल होकर बाद में आपको 'ट्रॉल' कर सकते हैं अथवा आपकी ही पोस्ट पर बिना वजह नकारात्मक टिप्पणियां कर अन्य लोगों के लिए भ्रम पैदा कर सकते हैं। सोशल मीडिया में पहचान छिपाकर गलत तरीके से जुड़ना और नकारात्मक टिप्पणियां करना अब असामान्य बात नहीं है।
3. प्रतिदिन अपने ऑफिस के 'हैस्टैग' अथवा आपके ऑफिस को 'टैग' करने वाले लोगों, उन पोस्ट से जुड़े लोगों, उनमें संबंधित विषयों आदि पर नजर रखना जरूरी है। अपने वरिष्ठ को ऐसी गतिविधियों से प्रतिदिन अवगत कराते रहें।

4. जो व्यक्ति आपके कार्यालय अथवा कार्यकर्ता के सोशल मीडिया को संभालता है वह सिर्फ वही जानकारी सोशल मीडिया में प्रसारित करे जिसकी अनुमति कार्यकर्ता से मिल गयी है। स्वेच्छा से कोई भी जानकारी बिल्कुल पोस्ट न करे। इस संबंध में यदि किसी प्रकार की चूक होती है तो उसके संबंध में अपने वरिष्ठ को अविलम्ब सूचित करें।
5. सोशल मीडिया में प्रसारित होने वाली सभी प्रकार की सामग्री जैसे कि छायाचित्र, ग्राफिक्स, वीडियो अथवा अन्य प्रकार की सामग्री संबंधित अपने वरिष्ठ से स्वीकृत होने के बाद ही प्रसारित की जाए और जो सामग्री प्रसारित की जा रही है वह उनकी जानकारी में रहनी चाहिए। यदि संबंधित वरिष्ठ व्यस्त हैं अथवा यात्रा कर रहे हैं तो वह जानकारी ईमेल/व्हाट्सएप आदि के माध्यम से भेजकर उनकी स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करें। यदि ईमेल अथवा व्हाट्सएप से संपर्क न हो तो फोन पर ही स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करें।
6. इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आप अपनी तरफ से अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट की जाने वाली सामग्री को किसी व्यक्ति विशेष अथवा पेज पर अनावश्यक तरीके से टैग न करें।
7. कार्यालय/कार्यकर्ता के अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर निजी सहायक को चाहिए कि वह 'एनालिटिकल टूल' का इस्तेमाल करते रहें और विरोधियों पर भी नजर रखें। इस संबंध में जो भी नयी गतिविधि हो उससे कार्यकर्ता/सोशल मीडिया को संभालने वाले व्यक्ति को समय-समय पर अवगत कराते रहें।
8. सभी महत्वपूर्ण सामग्री, संचार, ईमेल आदि में कार्यालय की वेबसाईट, ईमेल, सोशल मीडिया हैंडल्स आदि का प्रमुखता से

उल्लेख हो ताकि न केवल आपके सोशल मीडिया हैंडल पर अधिक से अधिक लोग 'विजिट' करें, बल्कि आपके ऑफिस से संबंधित नवीनतम जानकारी लोग वहाँ से प्राप्त करते रहें।

9. ऐसे लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स आदि का एक डाटाबेस तैयार करें जो भारतीय जनता पार्टी के दर्शन और विचारधारा को समझते हैं और जो अपने स्वयं के सोशल मीडिया पेज/हैंडल्स/ 'वेब पोर्टल' आदि का संचालन करते हैं। डाटाबेस में उन लोगों के मोबाइल फोन नंबर, ईमेल, सोशल मीडिया हैंडल्स, व्हाट्सएप नंबर, वेबसाईट आदि अवश्य हों। यह पूरी जानकारी 'एक्सल' अथवा किसी ऐसे उपयोगी साफ्टवेयर में तैयारी करें जहाँ से किसी भी समय उसे निकालकर उसका उपयोग किया जा सके और साथ ही उसमें संशोधन किया जा सके।

10. जब भी अवसर मिले अधिक से अधिक लोगों को अपने अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल को 'फॉलो' करने और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए निवेदन करें।

11. अपने ऑफिस अथवा कार्यकर्ता के अधिकृत अकाउंट से तब तक किसी भी प्रकार के 'ट्रॉल' या फिर नकारात्मक टिप्पणी का जवाब न दें जब तक आपको ऐसा करने के लिए कहा न जाए।

12. सोशल मीडिया में अपने कार्यालय अथवा कार्यकर्ता की तरफ से किसी महत्वपूर्ण नीतिगत विषय, गतिविधि, कार्रवाई अथवा सामयिक विषय के संबंध में किसी भी प्रकार की राय व्यक्त न करें। खासतौर से इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी नीतिगत विषय पर आपकी राय अलग हो सकती है, परन्तु उसे सोशल मीडिया में व्यक्त करने से परहेज करें। स्मरण रहे कि जब आप किसी कार्यालय में काम करते हैं तो कभी भी गैर-अधिकृत अथवा व्यक्तिगत राय जैसा कुछ नहीं होता। यदि किसी विषय से आपका

भी कोई भिन्न मत है तो उस बारे में पहले अपने कार्यालय से बात करें।

13. कभी भी अपने अथवा अपने ऑफिस के किसी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के निजी मित्रों अथवा परिचितों को अपने ऑफिस/कार्यकर्ता के अधिकृत अकाउंट के फॉलोवर्स/फ्रेंडस लिस्ट में शामिल न करें। जिन लोगों को जोड़ने के लिए कार्यालय से कहा जाए सिर्फ उन्हें ही शामिल करें।

सोशल मीडिया के संबंध में ये कुछ मूलभूत दिशानिर्देश हैं। आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाजपा अन्य राजनीतिक दलों जैसा राजनीतिक दल नहीं है। हमारी सुस्पष्ट विचारधारा है, विशाल कार्यकर्ता आधार है, काम करने की एक विशिष्ट पद्धति है और देश का नेतृत्व करने के लिए एक कार्यक्रम है ताकि भविष्य में हमारे देश का गौरव बढ़ सके। आपके व्यवहार तथा कार्यशैली से यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम एक अलग तरह की पार्टी हैं। मीडिया से बात करते समय अथवा हमारी सभी प्रकार की बातचीत में, वह भले ही सोशल मीडिया, वेबटूल आदि के माध्यम से हो अथवा किसी अन्य माध्यम से हो, हमारी प्रत्येक गतिविधि, बातचीत अथवा संचार में हमारी विचारधारा व दर्शन झलकना चाहिए और उस संवाद से हमारी विचारधारा और दर्शन पुष्ट होने चाहिएं तथा भाजपा की छवि में निखार आना चाहिए।

❍

भारतीय जनता पार्टी
6 ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110002
फोन : 011-23500000, फैक्स : 011-23500190
ISBN 978-93-88310-21-5